Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SATISH AGARWAL: I move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

13.44 hrs.

MOTION RE TWENTY-THIRD AND TWENTY-FOURTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES— *contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further consideration of the following motion moved by Shri Dhanik Lal Mandal on the 9th May, 1979, namely:—

"That this House do consider the Twenty-third and Twenty-fourth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1974-75, and 1975-76 and 1976-77, laid on the Table of the House on the 1st March, 1978 and 9th May 1978 respectively."

Shri Dhirendranath Basu continue his speech.

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): Mr. Deputy Speaker, Sir, it is most unfortunate that even after 32 years of independence, the Government have not been able to remove untouchability and caste system, which is not only a curse to the nation, but which has created so many problems for the country. It will be seen from the Report submitted by the Commissioner, Shri Shankarrao Mane that if untouchability and caste system cannot be removed, it is almost impossible to improve the lot of Harijans and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is mentioned in the Report for 1974-75. The Reports of 1974-75, 1975-76 and 1976-77 have been placed before the House. But the Reports of 1977-78 and 1978-79 have not yet been placed. If you go through the reports of 1977-78 and 1978-79, you will find that they are alarming. Thousands of Harijans have been killed, thousands of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been burnt and thousands of tribals have been neglected and rendered homeless. If we want to improve the lot of Harijans, cultural revolution for social reconstruction is needed. How far we can do that is the question now. The Government could not do anything so far. Only a sum of Rs. 31 crores have been provided in the budget estimates for this year to improve the lot of Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, throughout the length and breadth of the country. You will appreciate, this amount is very small. The Working Group suggested for an allocation of Rs. 500 crores for the improvement of Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for building townships and houses for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. You are aware that about 75 per cent of the people of our country are living below the poverty line and out of this, 98 per cent belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It will be appreciated that almost 100 per cent of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being neglected. In this way, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being neglected.

The more we talk about the improvement of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this House, the more atrocities are being committed throughout the length and breadth of the country. What happened in Belchi? What happened in Bihar? What happened in Uttar Pradesh? What happened in Tamil Nadu? The Harijans have been killed burnt to death. These are the atrocities going on and the Central Government comes out with a statement here in the Lok Sabha saying, "The law and order is to be looked by State Governments. We have got nothing to do in the matter." The law should be enacted in such a way that the Government of India can come forward to stop such killings of Harijans

and driving away of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people from their own lands.

We have talked much about the employment guarantee scheme. The Report has also suggested for such a guarantee. But what is the guarantee that has been done? The reservation of employment in certain States and in certain sections of the Central Government has been put at 15 per cent and 7½ per cent. But in police constabulary you will find that, practically, there is not even 3 per cent reservation. If you want to create confidence amongst Scheduled Castes and Scheduled Tribes, at least 33 per cent reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be there in police constabulary But this has not been done

This is what the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have suggested in paragraph 6 of the 19th Report, Sixth Lok Sabha:

"The Committee had considered that the organisational set up either in the Ministry of Information and Broadcasting or in the Films Division was inadequate to deal with the reservations for employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the Films Division. The Committee had stressed the desirability of immediately setting up a separate cell in the Ministry of Information and Broadcasting as well as in the Films Division as for the orders on the subject for the effective implementation of the reservation orders in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

What has been reply of the hon Minister? In his reply, the Minister of Information and Broadcasting stated:

"The Government had not found it possible to create additional posts for setting up a cell for effective implementation of reservation orders in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Films Division. The matter is, however, being examined and a report will be submitted soon."

That "soon" will never come. Two years have elapsed. But such a report has not been placed on the Table of the House If we want to improve the lot of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, then we must consider the statement made by the Commissioner, Mr Shankar Rao Mane, on 19th September, 1976.

"I am going to retire but my appeal to the Government is to see that there is regular and specific reservation of services in all sections, particularly for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the administration."

In our country there are more than 150 big public undertakings. How many officers are there from Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Is there any reservation? So reservation should be fixed up in public and private sectors also If we do not do it, then they will never come up, as a result of which our nation cannot prosper. The weaker sections of the people must be given an opportunity to play their role in free India Therefore, the recommendations as submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and as submitted by the Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be taken into active and immediate consideration. Let us not put off matters till tomorrow or for years together: let us deal with the matters earnestly and very promptly.

As regards the employment guarantee scheme, you will find that in high positions like that of Governors, Justices of High Courts and the Supreme Court there is no one from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have suggested that there should be a Ministry for improving the lot of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Townships should be started for housing the people. Even now, what

(Shri Dhirendranath Basu)

do the Brahmins etc. do? If Harijans go to their houses, they are not allowed to sit on chairs or even benches: they are untouchables. If we cannot remove this untouchability, if we do not remove the caste system, then the nation will go to ruin.

Therefore, I would appeal through you to the Government to take all possible steps to uplift the Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development of townships in tribal areas is long overdue. The matter was discussed time again on the Floor of this House, but, unfortunately, with not result The Information and Broadcasting Minister has said that it is very difficult to implement it, but however another Committee will be set up to go into the matter. But setting up of Committees again and again will not serve the purpose. If the findings of the Committees are not implemented what is the use of constituting these Committees? The social aspect and the housing schemes should have been given priority. As I have already said the Government have, this year, provided Rs. 31 crores as against a request of the Working Group for an allocation of Rs. 500 crores. With hardly Rs. 31 crores, how many villages and townships can be built?

The Government should allow Harijans and members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to study free of all charges, say up to the B.A. Degree or college level. Fees should not be charged. What the Government has done for Jammu and Kashmir should be done in the case of Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes also.

Now, what is the lot of the 'Safai-Mazdoors', the sweepers and scavangers? Even today they are carrying the night soil on their shoulders. This must be stopped at all costs. Ways must be found out for stopping this. I know, in other countries, no scavanger, no worker, is allowed to carry the night soil on his shoulder. But unfortunately in India, in all towns and cities, they are carrying the night soil on their shoulders. This is the lot of the Harijans. This practice must be discontinued.

A law has been enacted to set up Special Courts, and Special Courts are being set up. These Special Courts should take up the cases of atrocities on Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes throughout the country. The nation will no longer tolerate the sort of killings and atrocities that have been made in Belchi and several other parts of Bihar, U.P., Tamil Nadu and other States. People are looking forward for the upliftment of the weaker sections of our society, they expect the Government to come forward to improve the lot of the weaker sections of our society.

Removal of poverty should be our motto. That should be done. Most of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are extremely poor; as I have said, they are much below the poverty line—almost 70 to 90 per cent of the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, removal of poverty must be done. If the Government cannot do it, I tell you, there will be a revolution in the country, there will be disturbances and chaos throughout the length and breadth of this country, and it will become beyond the power of the Government to control those disturbances.

Land reforms should also be given the top-most priority. I have seen that many peasants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been removed from their home-land, from their dwellings, by the caste Hindus, by the Jotdars. That must be stopped at all costs. We must enact laws in such a way that such things cannot be allowed to continue any longer. We have to proclaim it as a public issue. But what we find is that, the more we discuss in the House, the more atrocities are being committed. We must put a stop to these atrocities at all costs. Government should not be just a silent spectator and say, 'This is the State Government's responsibility; law

and order will be dealt with by the States; what can we do?'. This has been the reply of the hon. Minister in many cases. I request the Government to set up an Enforcement Directorate which should serve as a watch-dog; they should look after the Harijans, they should see what is happening to the Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes throughout the country. Such an Enforcement Directorate will be able to help these people to a great extent.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: In conclusion I would appeal to the Government through you, Sir, that Government should bring forward now a supplementary budget for provision of funds for improving the lot of the Harijans Free education should be given to students of Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for such improvement, whatever money is necessary should be provided. The Government should come forward to provide funds in compliance with the report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

With these words, I conclude. Sir, you are a strong Deputy-Speaker. I do not want to trouble you any more.

14.00 hrs.

श्री नटवर लाल बी० परमार (धुंधुका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस रिपोर्ट का समर्थन करते हुये अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। इस समय हम शैड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेडयूल्ड ट्राइब्ज आयोग की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं। सर्व प्रथम तो मैं कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बहुत लेट चर्चा के लिये आती है। इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को प्रधानता क्यों नहीं मिलती है? मेरा सुझाव है कि इस रिपोर्ट पर समय से चर्चा होनी चाहिये ताकि उसके अच्छे नतीजे निकल सकें।

आज हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। पुलिस थानों में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है—ऐसी बात जगह जगह से उठती रहती है। आज देहातों में हरिजनों के लिये पानी भरने के लिये खुले कुऐं नहीं हैं। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

हरिजनों के लिये मकान बनाने की स्कीम को कम्पलसरी करके राज्यों को डायरेक्टिव दिये जाने चाहिये कि हरिजन भाइयों के लिये सहकारी आधार पर अलग से सब्सीडी देकर आवास योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

वेस्ट लैण्ड के लिये मेरा सुझाव है कि वह कुल जमीन हरिजनों को दी जानी चाहिये। इसके अलावा लैण्ड रिफार्म्स के बारे में जितने भी इनैक्टमेंट्स हों उनको नाइन्थ शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिये ताकि उनको अधिक जमीन उपलब्ध हो सके।

जहां तक हरिजनों के लिये रिजर्वेशन का संबंध है, वह आज भी दफ्तरों में पूरा नहीं है। सरकार इस बात की जांच करवा कर कि इसके लिये कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे। आज देश में नान एस सी, एस टी यूनियनें भी खड़ी हो रही हैं जोकि हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं का विरोध करती है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से ऐसी नान एस सी, एस टी युनियनों को समाप्त करने के लिये कड़े पग उठाये जाने चाहियें ताकि हरिजनों को यह प्रतीत हो सके कि सरकार उनके पीछे है।

14.03 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

इसके साथ साथ मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों तथा पब्लिक सेक्टर के प्रतिष्ठानों के बोर्डों में भी हरिजन सभासदों की नियुक्ति की जानी चाहिये ताकि बैंकों के हरिजनों को लोन मिलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आये।

हरिजनों पर जो अत्याचार किये जाते हैं उन केसेज को निपटाने के लिये स्पेशल कोर्टस की स्थापना की जानी चाहिये। गोकुल गाय की गति से इन केसेज को निपटाने से काम नहीं चलेगा। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये जिनसे कि हरिजनों को यह प्रतीत हो कि सरकार उनके लिये ठोस कदम उठा रही है। शिक्षा देने के उद्देश्य से हरिजनों के मामलों में गुनहगारों को केवल दंड देना ही काफी नहीं होगा बल्कि उनकी प्रापर्टी, जायदाद भी जब्त कर लेनी चाहिये ताकि उन गुनहगारों को पता चल सके कि मेरे इस कृत्य मेरे से बच्चे भी भूखे मरेंगे। आज उनके पास पैसा होने के कारण वे आर्थिक दण्ड को महसूस नहीं करते हैं। यदि आवश्यकता हो तो जांच करके गुनहगारों के मोहल्लों या गांवों पर भी पेनल्टी टैक्स लगाया जाना चाहिये।

1947 में देश का विभाजन हुआ। उस समय जो शरणार्थी भाई देश में आये, आज 25 सालों के बाद उनके लिये सब प्रकार से सुविधा हो गई है और वे समाज में मिल गये हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 30 सालों में हरिजनों के लिये उतने कड़े कदम नहीं उठाये गये, जिससे वे भी समाज में मिल सकते। उनके लिये यदि अलग से मंत्रालय बन जाय, तो मैं समझता हूं कि उसको इस काम के लिये जिम्मे-

[श्री नटवर लाल बी० परमार]

जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है कि यह काम क्यों नहीं हुआ। आज जब भी हरिजनों का प्रश्न उठता है तो उसमें राज्यों और केन्द्रीय सरकार का प्रश्न बीच में आ जाता है और इस वजह से उनके विकास के लिये जो स्टैप्स लिये जाने चाहिये, वे नहीं लिये जाते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि उनके लिये अलग से मंत्रालय बनाया जाय—तभी उनकी हालत में ठोस परिवर्तन हो सकता है।

कुछ शब्द मैं उनकी यूनियन के बारे में कहना चाहता हूं। आज देश में जो दूसरी यूनियन्स हैं—वे हरिजनों के मामलें में कोई दिलचस्पी नहीं लेती हैं। हमने बहुत से सैकटर्स में देखा है—जब भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न आता है या हरिजनों के राइट्स का मामला आता है— तो ये यूनियनें उनका विरोध करती हैं। इसलिये मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप पिछड़े वर्गों की यूनियनों को मान्यता दें, उनको अनुदान दें, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिये, ताकि वे भी अपनी बातें सरकार के सामने अच्छी तरह से रख सकें।

मैं गुजरात से आया हूं—आज गुजरात में मोची जाति सवर्ण समाज के साथ रहती है, लेकिन एरिया रेस्ट्रिक्शन दूर होने से वह अपनी जाति को "मोची" कह कर पिछड़े वर्ग का लाभ उठाना चाहते हैं। मैं उनके बारे में भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कौम को पिछड़े वर्ग से डिलीट करना चाहिये और जरूरत पड़े तो आर्डिनेंस निकाल कर उनको हटाना चाहिये ताकि वे सुविधायें उनको न मिल सकें। इसके बारे में आप को कड़े कदम उठाने चाहियें।

स्वर्गीय बाबासाहेब डा० अम्बेदकर कहते थे कि हरिजन उद्धार से काम नहीं चलेगा, छुआछूत निवारण से काम चलेगा। The wearer knows where the shoe pinches हरिजनों की तकलीफ को एक हरिजन ही समझ सकता है। यहां पर रिपोर्ट पेश करना या उस पर बहस करना तो एक परिपाटी है, सवाल यह है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल हो। हरिजनों के लिये हम जो कुछ कर रहे हैं—उसकी हरिजनों को प्रतीति होनी चाहिये, तभी उनको विश्वास होगा कि सरकार वास्तव में उनके लिये कुछ करना चाहती है।

पिछली बार मैं अण्डमान निकोबार गया था। मैंने वहां देखा कि आज भी आदिवासी स्त्री और पुरुष नग्न रहते हैं कपड़े नहीं पहनते हैं। 30 साल की आजादी के बाद भी हमारे लोग नग्न रहें यह बड़े दुख की बात है। इसके बारें में भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये।

आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया—इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor): Mr. Chairman, Sir, it is rather unfortunate that even after thirty-two years of our Independence, we have to discuss the Problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes more or less in the same old manner.

The first point, I wish to make while participating in this discussion, is the question of atrocities on Harijans. This has been discussed in this very House. The point which I want to emphasise is that despite the Government's assurance and, despite also the various steps taken by the Government, such atrocities on Harijans are continuing. There is a feeling of insecurity among the Scheduled Castes and among the Scheduled Tribes people also of late, in many parts of the country. When we raise this question of atrocities on Harijans and we say that the atrocities on them have been on the increase, it is always the practice on the part of the Minister In-charge of this Ministry to come forward with the suggestions and to say that actually the atrocities had been on the decline. I am not very much attracted by the statistics of either increase or decrease. The more serious aspect of the situation is that the atrocities are continuing. After thirty-two years of independence we have not been able to create a situation in this country where Scheduled Castes and Scheduled Tribes can live in peace and security, their lives and property will be honoured and they can continue to live in this country as any other citizen of India. The situation still exists where atrocities are being repeated and this shows—whatever be the claims of the government—that there is lack of political will on the part of the government. It is not enough to say that Constitution has provided various safeguards to the weaker sections and untouchability stands abolished under Article 17 of the Constitution and the old untouchability offences Act has been made more stringent and stringent punishments have been provided under the new Act. It is not enough that we pass laws and put them on the statute-book. It is the actual enforcement of these laws which is more important and it is here that I charge this government with lack of political will.

Sir, under the various laws and enactments the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are told that you have such and such rights, that you are equal to other citizens and that there shall be no discrimination against you, yet when these poor people make an attempt to have the same rights ensured to them by the government under the law then the retaliation starts from the vested interests and the retaliation takes the form of atrocities, violence and various uncivilised acts against the weaker sections. The government which have been day in and day out telling them that they are equal and there are laws for their protection fails to protect them. In other words the State power does not come to the aid of the weaker sections when they are being subjected to atrocities, cruelty, violence and harassment. Take, for example, the experience of hundreds and hundreds of Harijans and tribals in this country. In how many cases the miscreants have been challaned by the police and in how many cases the culprits have been really punished. When they go to lodge a complaint at the police station, they are not listened to, their complaints are not entertained and they are thrown out of the police stations in many cases. Therefore, the benefits of the various welfare measures cannot really be enjoyed by these people. The benefits of the various laws and various measures could not be enjoyed by these poor people and the weaker sections, unless they are backed by the political will of the Government and unless the State power is used against anti-social and uncivilised elements in society, in order to protect the lives and properties of the harijans. And if this political will is lacking, you will find, your performance will be no better than that of the previous Government.

A twenty-point economic programme was announced by the erstwhile Government and by the previous Prime Minister Indira Gandhi. Day in and day out these were announced over the Radio several times. They were published in the press. These things were announced over the Television also. When people started asking for the relief, they were retaliated against; they found they could not get anything they had a very very sad experience in respect of these matters. The Government failed in this respect. The result was this. Even though they got some benefits here and there, the result was more harassment, more violence, more atrocities and so on and the Government just remained as mere spectator. And we find that the same attitude is being continued by the Janata Government. , I think that you will not be able to make a dent on the problems of illiteracy, ignorance, unemployment and economic backwardness of these people unless you take strong measures. All these problems cannot be solved unless you act in a decisive manner. You have to use your State power, in order to protect those people who are weak and who are ignorant.

For all these years the emphasis was on education and Welfare measures, and so on. But the Economic aspects of the problems of the harijans and scheduled castes and scheduled tribes people have been pushed to the background. Do you know how many of the scheduled castes and scheduled tribe persons have just to sell their labour power for sustaining themselves They don't have the wherewithal to maintain themselves, to protect themselves and to protect their families. The Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has pointed out how a majority of them are agricultural workers. Among them 51 per cent are landless labourers. What about their employment? What about their working conditions and their wages? The provisions regarding Minimum Wage remains only on paper. The Minimum Wage laws are more observed in the breach or in their violation then in the observance. That is a reality. There is no proper enforcement machinery.

You will be surprised to hear, Mr. Chairman, that the revenue officials, tahsildars, patwaris etc. are being asked to enforce these minimum wage

[Shri P. K. Kodiyan]

provisions. This is happening in many of the States. I am asking the Home Ministry to do one thing. Why cannot you prevail upon the Labour Ministry to set up a separate Labour Department at the Centre and in the States? It should be made exclusively responsible to enforce the minimum wages, for agricultural labourers. These are practical proposals and you can do all these things without much difficulty. But these are not being done.

Now I come to the question of land. I do not want to go into the details of the land distribution work etc. which has been done so far. The fact is that it is almost kept in the cold storage The third aspect of the economic problem is the problem of putting this weaker section on the road to economic prosperity. They should be provided with all facilities for starting small and cottage industries. Scheduled Castes Development Corporations have been set up in most of the States. But the money provided for these Corporations is so meagre that they are not in a position to start small and cottage industries in a big way Therefore, I would request that the Scheduled Caste Development Corporations in various States must be provided with adequate funds. Then the last point I want to make is this. That is the most vital problem. That is about the tribal land which has been alienated in the last several years. I am surprised to know that in the Commissioner's Report, there is not a single word about the tribal land alienation. Some of the State Governments have been talking about the restoration of the alienated land and have enacted laws for this purpose. But what about the implementation part? Nowhere it is implemented and nobody cares. The money-lenders and others are grabbing their lands and they are being pushed further and further into the interior of the jungle. Even the civilised administration when they started projects—whether it is iron ore projects or irrigation projects—has not cared for them A large number of labourers are being uprooted, they have been deprived of their lands, their huts and their cultivable lands were grabbed in Madhya Pradesh and in other States. Who cares for them? It is because they are poor, it is because they are ignorant and it is because they have no power, you think you can do anything with them. Even the Government, even the administration is doing injustice and cruelty to the tribal people and it is a share. It is high time that the alienated tribal land was restored. The law restoring the tribal land should be enforced strictly and all the tribals who have lost their lands, huts and the cultivable lands should be given lands. Not only that, they should be provided with lands but financial assistance to restart the.r work should also be given.

श्री राम देनी राम (पलामू) आज हम शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट्स पर विचार कर रहे है। लेकिन आप यहां जो उपस्थित है उसको देखे। भारत की कोटि कोटि जनता, जिन की समस्याओं पर हम विचार कर रहे है अगर वह इस उपस्थिति को देखे तो क्या समझेगी। इस से साफ साबित होता है कि आज से नहीं बल्कि सदियो से उनको इगनोर किया गया है, उनकी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार नही किया गया है, उनकी समस्याओं के साथ आज भी झगड़ने के बजाय उनको इगनोर ही किया जा रहा है उसी का प्रतिबिम्ब इस पार्लियामेंट में आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

सभापति जी, संविधान मे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक और धार्मिक आजादी अक्षुण रखी गई है। लेकिन मै जानना चाहता हूं कि इस 32 वर्ष की आजादी के बाद जो उनको अपर क्लास के समकक्ष लाने का आपने पक्का इरादा किया था, वहां आप उनको ला सके है? क्यो नहीं ला सके है? क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। विधान सभा हो या लोक सभा की सीटे हो इनके लिये आरक्षित हैं इसलिये लाचारी देना ही है।

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलालगंज): सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक तो कोरम पूरा नही है। दूसरे यहां पर होम मिनिस्टर जिनसे यह मामला संबंधित है वह भी यहां वर्तमान नही है, इसलिये उनको बुलाया जाय। कैबिनेट का कोई मिनिस्टर नहीं है। केवल स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए है। ऐसा मालूम देता है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की प्रौब्लम्स को वैसे ही इग्नोर किया जा रहा है जैसे .....

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री धनिक लाल मण्डल जी अभी तुरन्त आ रहे हैं। लगातार बैठे रहने के बाद बीच में जाने की आवश्यकता तो सभी को पड़ती ही है।

श्री आर० एल० कुरील : यह नैशनल प्रौब्लम है। इसमें अगर प्रधान मंत्री यहां नहीं हैं तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों। लेकिन सब की सब ट्रेजरी बैंचेज खाली पड़ी हुई हैं, कितने शर्म की बात है। पहले आप कोरम पूरा कीजिए, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Yesterday, the same question was raised by the Members. We expected that some Ministers of the Cabinet rank would be present during the debate to atleast create an impression in the country that we take this problem seriously.

MR. CHAIRMAN: Let the quorum bell be rung .... Unless there is quorum in the House, nothing will go on record.

Now, there is quorum. Before we start....

SHRI R. L. KUREEL: The Home Minister should be here.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कल तो आधा घंटा इसी बात पर चर्चा चली थी।

SHRI K. GOPAL (Karur): Even yesterday the same issue was raised.

MR. CHAIRMAN: I am on my legs; I expect everybody to sit down. Yesterday, the hon. Deputy Speaker had already said that there should be some Cabinet Minister. I do not know why it has not been done and executed. I think that it will be done. Secondly, let us not be complacent about ourselves. After all, it is the responsibility of all the Members of the House. How much interest are all of us taking? That also cannot be ignored. Just to blame only the Government or the Minister is not enough. Many Members have observed this. Not only that: when the debate actually started, I was in the Chair, and had observed the very sad state of affairs, viz. that Members did not seem to be much interested. It is not only on one side. So, I will request the Members and say, "let us continue and not obstruct". (*Interruptions*) I have said that the hon. Minister has taken note of that. And I am sure they will realize the opinion of the House, and they will realize the feeling of the House, and that they will be here. I again reiterate that. After all, there is no such rule; and I cannot compel anybody. (*Interruptions*) After all, the House has come to know of this.

SHRI R. L. KUREEL: Then we are not going to say anything. If nobody is going to hear, what is the use of saying anthing? (*Interruptions*).

SHRI K. GOPAL: As far as I know, every Cabinet Minister should be on roster duty here. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record if you all speak in this manner.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : कल की बात नहीं है, यह प्रेसीडेंस है, मिनिस्टर को यहां पर रहना चाहिए।

श्री मोहन लाल पिपिल (खुर्जा) : कल भी ऐसा ही हुआ था, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप हाउस में आर्डर तो चाहेंगे, जो कुछ भी कहना है, आर्डर से कहेंगे, एक एक ही बोलें तो ठीक है।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल जब इस प्रश्न को यहां उठाया गया तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी न किसी कैबीनेट स्तर के मंत्री को सदन में रहना चाहिए। जब आसन की ओर से यह कहा जाये और उसका अनुपालन सरकार की ओर से न हो तो यह आसन का और सदन का एक तरह से अवमानना ही है और उसका अपमान माना जाएगा। अगर चेयर के आदेश को सरकार नहीं मानेगी और मंत्री यहां नहीं आ रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। उसमें भी जो स्टेट मिनिस्टर हैं वह जुड़वा मंत्री हैं। यहां भी जुड़वा मंत्री हैं, लेकिन दूसरे विभाग के हैं, गृह विभाग के जुड़वा मंत्री नहीं हैं। गृह विभाग के दो राज्य मंत्री हैं और दोनों में से एक भी यहां नहीं है और केबीनट स्तर के मंत्री गृह विभाग के भी यहां नहीं हैं और किसी दूसरे विभाग के केबीनट मंत्री यहां नहीं हैं। यह कायदा कानून कल आ सकता है कि राज्य मंत्री तो हैं। राज्य मंत्री को भी हम संयुक्त जिम्मेदारी में मान लेंगे, लेकिन राज्य मंत्री को संयुक्त जिम्मेदारी में इसलिये नहीं मान सकते हैं क्योंकि वह कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आते और ये हमारी भावनाओं को कैबिनेट में नहीं रख सकते। तो जो राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, अगर वह संयुक्त जिम्मेदारी के नाम पर रहते हैं और सदन की बात को वह कैबिनेट में नहीं रख सकते हैं तो वह पोस्ट आफिस का काम क्यों करेंगे? यह राज्य मंत्री भी इनमें एक आदिवासी हैं और दूसरे हरिजन राज्य मंत्री

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

हैं इसीलिये इनको तो केवल जिम्मेदारी दी गई है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की बहस को सुनने के लिये यहां बैठें। कल भी यही थे और आज भी ये ही दोनों यहां हैं।

सरकार का इतना पैसा मंत्रियों पर खर्च होता है, इतनी सुविधायें देते हैं और यहां बैठकर वह बहस भी नहीं सुनेंगे तो उनके रहने का क्या मतलब है, आसन के आदेश को न मानना यह आसन की अवमानना है और इस सदन की मर्यादा पर कुठाराघात है, इसलिये सदन की कार्यवाही को तब तक के लिये स्थगित करें जब तक कि कैबिनेट स्तर के मंत्री बहस सुनने के लिये नहीं आते हैं।

श्री लारंग साय : सभापति महोदय, नोट कर लिया है, कैबिनेट रैंक के मंत्री आ रहे हैं। जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसको राज्य मंत्री माननीय मंडल जी अटैंड करते हैं और जहां तक संयुक्त उत्तरदायित्व का सवाल है, हम सब उसके लिये जिम्मेदार हैं और माननीय सदस्य जो कुछ भी बात उठा रहे हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कल का औवजरवेशन मैं आपको सुनाता हूं, लारंग साय जी जरा सुन लीजियें।

"All that I can say is that the Minister should be here and it is wrong that no concerned Minister is here. I can understand if at least a Minister of State is here. I think the Minister should be called here".

I am reading from the proceedings, what was said yesterday.

SHRI K. GOPAL: I want to make a submission. I am not going to proceed hastily.

MR. CHAIRMAN: What is the submission? I will allow everybody. But, after all, we should go by some procedure so that others may also get a chance and we hear everybody.

So, the point here is that to-day I find that the Minister concerned is not here. I must express the feelings and I join the House that, after all, the feelings of the House must be properly respected by the hon. Minister. I expect that. There is no question of any privilege because that is a different thing. We are just expressing our views and the Ministers are expected to respect the views. This is, what is expected. I think I am in the hands of the House. It is no use.. (*Interruptions*)

Of course, I will give a chance to everybody in this respect. But I feel, after all, as I submitted, the responsibility is not of the Ministers only. Quorum Bell had to be rung and then all of us have come here.

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी डिसकशन्ज़ पहले भी होती रही हैं और उनमें प्राइम मिनिस्टर तक ने इन्टरवीन किया है यह दुख और अफसोस की बात है कि आज मिनिस्टर आफ स्टेट कनसर्न्ड भी सदन में नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप साहबान यहां पर जो फरमाते हैं, वह सब रिकार्ड पर जाता है। आपने जो बात कही, वह प्रधान मंत्री महोदय के पास भी पहुंचेगी ही और दूसरे मंत्रियों के पास भी पहुंचेगी। इसके बाद भी अगर वे सदन को सम्मान नहीं देते हैं, तो वह एक अलग बात है।

SHRI K. GOPAL: You very rightly observed that there is no rule under which you can compel any Minister to be present. All Members from this side and the other side are agitated because no Cabinet Minister is present. As far as I know the Cabinet Ministers have got roster duty. At any point of time one Cabinet Minister has got to be here.

MR. CHAIRMAN: He has come now.

I think there are no two opinions about this. We are one on this point.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): The Chair, yesterday, in its wisdom rightly made the observation that in future the Cabinet should pay more attention to the debates in Parliament because that is a sovereign House of the people and it is from this Parliament that they get all their powers. It is not from some office in Udyog Bhavan or any other building that they are getting their power.

The whole question is, while we are discussing this one Cabinet Minister, Dr. P. C. Chunder has rightly come in. To-day the debate is on the Report of the Commissioner of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It concerns the Home Ministry. Now, we find that neither the Home Minister

who is rightly an aged man and who suffers from amnesia and other problems....

MR. CHAIRMAN: Mr. Roy, all these points have been raised.

SHRI SAUGATA ROY: I want to make a submission that there are two Ministers of State in the Home Ministry. This Parliament is to continue. We understand that there is a Cabinet system of Government, where the Minister may take responsibility for another Minister. But you will note that when a particular Minister is not present, somebody else has to introduce the Bill or lay any paper on the table for him, then previous permission of the Chair is sought. Here, my question is since the House has made this observation and since inspite of the observation, no Minister from the Home Ministry is present, I suggest let us adjourn the House till any Minister from the Home Ministry is present. Otherwise, there is no point in discussion. It is no use saying that the Minister will read in the paper tomorrow.

(*Interruptions*)

From Parliament they derive power. They do not get power from the North Block or any other place.

MR. CHAIRMAN: You are a senior member. You know that the institution works and not the person.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Will you allow the House to continue now?

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I seek your permission to make a submission. There are two-three others to make submission.

MR. CHAIRMAN: All right, but be brief.

PROF DILIP CHAKRAVARTY: Yesterday, something happened. You read it out. We were there in the House. It goes to the credit of the Janata Government to present the Report of 1973-74 concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes last year.

MR. CHAIRMAN: Please make the point briefly.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Please bear with me for two minutes only. It is this year that three Reports 1974-75, 1975-76 and 1976-77, due to the persistent demand from this House, would be presented for consideration of this House. But the Minister concerned should have shown sufficient concern for the sentiments expressed by the Members from time to time. Yesterday the House unanimously expressed the view that the concerned Minister should be present.

MR. CHAIRMAN: This has been said by everybody. What is new in it?

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: The new thing is that when those members were occupying this side of the House, they were not presenting the reports at all, and it is the Janata Government which took care to present all these report.

SHRI SAUGATA ROY: This has nothing to do with the Janata Government. There is one officer--the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes—who presents the reports. (*Interruptions*).

श्री मोहन लाल पिपिल : सभापति महोदय, देश की एक चौथाई आबादी पर कुठारापात हो रहा है। आप यहां गृह राज्य मंत्री को अवश्य बुलाइए और उस के बाद हाउस को चलाइए वरना देश की एक चौथाई आबादी पर आप कुठाराघात करेंगे और इस तरह से हम हाउस को नहीं चलाने देंगे। हम आप से प्रार्थना करेंगे कि जब तक गृह राज्य मंत्री यहां न आ जाय तब तक के लिए हाउस को एडजर्न कर दें।

SHRI SAUGATA ROY: I beseech you, Sir. You are not a powerless person. You are the master of this House.

AN HON. MEMBER: The Minister has come.

SHRI SAUGATA ROY: You pull him up for not being present. You are not powerless, you represent all our powers.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मेरा निवेदन यह है कि हाउस का इतना समय इस लिए खराब हुआ कि सम्बन्धित चर्चा से सम्बन्धित मंत्री यहां उपस्थित नहीं थे. . . (**व्यवधान**) . . . .

सभापति महोदय : आप भी तो उपस्थित नहीं थे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय अपनी जवाबदारी को नहीं निभा रहे हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं निभा रहे हैं। मेम्बर साहबान खुद यहां प्रेजेन्ट नहीं होते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : भविष्य में वह ऐसी गलती न करें, ज्यादा सतर्क और जागृत रहें. .

सभापति महोदय दूसरों को उपदेश देने के पहले हमें भी कुछ करना चाहिए।

श्री मोहन लाल पिपिल : हम मारली बाउड है, वह ड्यूटी बाउड है . (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I am not allowing any more Members on this point

SHRI P. K. KODIYAN: I want a ruling

MR. CHAIRMAN: I am not allowing. Don't record.

SHRI P. K. KODIYAN.**

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): मिनिस्टर बाथरूम भी चला जाए तो भी आप बकवास करते हैं। (**व्यवधान**)

चौधरी बलबीर सिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि बकवास करते हैं, यह "बकवास" शब्द जो है वह क्या पार्लमेन्टरी है?

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

चौधरी बलबीर सिंह : हाउस में कोरम की बात चलती है तो डिकोरम की बात भी चलनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि शब्द "बकवास" पार्लमेन्टरी है या अनपार्लमेन्टरी है। (**व्यवधान**)

श्री राम देनी राम (पलामू) : सभापति जी, करीब 15 मिनट का समय डिस्टर्बेंस में बीत गया, मेरा समय इसमें नहीं काटा जाना चाहिए।

मैं यह बता रहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रति सरकार की नीयत क्या है। विधान सभा या लोक सभा में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का रिजर्वेशन है वह इसलिए है कि और कोई चारा नहीं है, उतने आदमी तो आने ही हैं। लेकिन अगर इनकी नीयत ठीक रहती तो राज्य सभा, विधान परिषद् जिला परिषद्, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी और पंचायत में भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को उसी मुताबिक दी जाती लेकिन क्या वहां पर परसेंटेज के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व है? नहीं, वहां ये आपको नगण्य से ही दिखाई देंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नीयत क्या है। 32 वर्षों की आजादी में इनका हमेशा से इन्कार किया गया है, इनके हक हकूक का इन्कार किया गया है। आप बताइए देश के किसी यूनिवर्सिटी में शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई वाइसचांसलर है? केवल शेड्यूल्ड ट्राइब का एक व्यक्ति शिलांग में पद स्थापित है। इसी तरह से किसी बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में या गवर्नर की जगह पर कोई शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति नहीं हुआ केवल श्री भण्डारे को छोड़कर।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) उत्तर प्रदेश और केरल में दो गवर्नर हैं।

श्री राम देनी राम जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये हुए हैं।

इसी प्रकार से दुर्भाग्य की बात है कि न सिर्फ जनता पार्टी बल्कि तमाम पार्टियों में आज तक कोई भी अध्यक्ष शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं बनाया गया है, कांग्रेस में श्री संजीवैया जी को छोड़ कर। कम्युनिस्ट पार्टी जोकि गरीबों का बड़ा दम भरती है या अन्य प्रोग्रेसिव कही जाने वाली पार्टी कोई अध्यक्ष नहीं बनाया है।

सभापति जी, जहां तक सामाजिक व्यवस्था की बात है—छुआछूत का कोढ़ आज भी हिन्दुस्तान में मौजूद है और केवल छुआछूत ही नहीं आज हरिजन समाज के साथ इस देश में जो दुर्व्यवहार हो रहा है जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वे सताये जा रहे हैं उस की मिसाल आप को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बनारस में बाबू सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति के अनावरण के समय हमारे अन्तर्राष्ट्रीय नेता बाबू जगजीवन राम जी के साथ जो घटना घटी—उस को देख कर विश्व में शर्म से सिर झुक जाता है।

** Not recorded.

सभापति जी, आप को आश्चर्य होगा—इस देश के किसी भी धार्मिक नेता ने उस की चर्चा तक नही की। न इन चारो शंकराचार्यों ने, न विनोबा जी और न कर्पात्री जी ने ही उस का कोई विरोध किया। मै चाहता हू कि सरकार इन शंकराचार्यों की सनद को छीन ले। सभापति जी, इस हाउस मे एक बिल आने वाला है। मैं नाम नही लेना चाहता—लेकिन धार्मिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करने के लिये उस बिल को लाया गया है। हिन्दू हमे मन्दिरो मे आने नही देते, दूसरी तरफ मिसन वाले, गिरजाघर में माला लिये खडे हैं। आप मन्दिरो मे तो आने नहीं देते, क्या गिरजाघरो में भी जाने से रोकना चाहते है ?

श्री हुकमदेव नारायण यादव जरूर जायेंगे।

श्री रामदेनी राम . मै चाहता हू कि धार्मिक स्वतन्त्रता पर किसी तरह का कोई कुठाराघात नही होना चाहिये।

जहा तक आर्थिक स्वतन्त्रता की बात है—यह बात बिल्कुल साफ है कि दौलत कमाने के सारे साधन सरकार के अधीन है। यदि यह सरकार चाहती तो अब तक हरिजनो और आदिवासियो को विशेष सहूलियते दे कर, बैंकों से लोन दिला कर, तरह तरह की सहूलियतें दे कर उन को ऊचा उठा सकती थी—लेकिन सरकार की नीयत साफ नही है यह मेरी बराबर शिकायत रही है। पिछली सरकार ने तो कुछ किया नही, लेकिन इस सरकार की नीयत भी साफ नही है। मै चाहूगा कि हरिजन और आदिवासियो को विशेष सुविधायें दे कर जो रोजगार के जरिये हैं—उन में उन को लाना चाहिये—ताकि उन की आर्थिक स्थिति सुधर सके। हम ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र मे रोटी और आजादी देने का वादा किया था। इस मे कोई सन्देह नही कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन साथ ही इस देश के गुण्डो, चोरो और बेईमानो को भी आजादी मिल गई है। परन्तु रोटी अभी भी नही मिली है—हिन्दुस्तान का गरीब, झोंपड़ी में रहने वाला इन्सान आज भी दो वक्त भरपेट रोटी नही खा रहा है। मुझे याद आता है—आजादी के पहले ही पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक प्लान बनाया था, कि आजादी मिलने के बाद हम देश का विकास कैसे करेंगे, किस रास्ते पर देश को ले चलेंगे। जब वे उस प्लान को ले कर गांधी जी के सामने गये तो गांधी जी ने उन से पूछा—मुझे बतलाओ कि हिन्दुस्तान के झोंपड़ी में रहने वाला जो इन्सान है, जिसे भर पेट भोजन नसीब नहीं होता, घर में चिराग नही जलता, क्या उस के लिये इस प्लान में स्थान रखा है। यदि उस के लिये इस मे जगह नही है, तो इस प्लान को गंगा में बहा दो।

मै सरकार को एक सुझाव देना चाहता हू—सरकार के प्रत्येक विभाग के आवंटन में शेड्यल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये हिस्सा तय कर देना चाहिये। उदाहरण के तौर पर आप डेवलपमेंट करते हैं, बिजलीकरण करते हैं बड़ी बड़ी योजनायें बना कर इरिगेशन करते हैं और रीवर-वैली प्रोजक्ट्स के माध्यम से बिजली से सारे इलाके में जगमगाहट आ जाती है और बाहर के लोग न केवल फायदा उठाते हैं बल्कि लखपति बन जाते हैं लेकिन उसी के बगल में रहने वाले हरिजन और आदिवासी के घरों में तो चिराग भी नहीं जलती है और झोंपड़ियों में अन्धेरा ही अन्धेरा रहता है। क्या सरकार को नही चाहिये कि कम से कम बगल में रहने वाले उन हरिजनो और आदिवासियों को बिजली और पानी की व्यवस्था मुफ्त मे कर दे। मैं चाहूंगा कि इसे निश्चित तौर पर करें ताकि उन को विश्वास हो कि कोई भी प्राजेक्ट बनता है तो उस के साथ हमें भी सहूलियत दी जाती है।

जहा तक शैक्षणिक व्यवस्था की बात है, इस देश मे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने भी विद्यार्थी है, उन का एडमीशन जब इनफेन्ट क्लासो मे होता है, तो तीसरी क्लास पास होने के बाद वे 51 प्रतिशत स्कूल छोड़ देते है और 49 प्रतिशत जो बचते हैं उन में से कुछ तो प्राइमरी तथा कुछ मिडिल क्लास के बाद छोड देते है और उच्च विद्यालय तथा कालेज तक जाते जाते केवल 17 प्रतिशत विद्यार्थी ही रह जाते है, जिस मे कालेज के विद्यार्थियो को तो स्टाइपेंड मिल जाता है। 32 वर्ष की आजादी मे जो उपलब्धि मालूम पड़ती है, वह यह है कि कालेज के विद्यार्थियों को स्टाइपेंड मिल जाता है। इनमे अधिकतर विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते है और अपने गरीबी के चलते गांवो में मजदूरी करने लगते है। तो मैं चाहूगा कि छात्रवृत्तियों का जो रेट है, वह बढ़ाया जाना चाहिये। जिस में अधिकतर विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति मिल सके।....(**व्यवधान**) . बिहार सरकार ने इस पर विचार किया है और मै समझता हू कि सरकार इस को देने की सोच रही है। मेरा सुझाव यह है कि उन के लिए पासबुक खुल जानी चाहिये और उस पास बुक के माध्यम से सरकार उन को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध मे मैं कहना चाहता हू कि या तो पब्लिक स्कूलो को तोड दे और अगर कुछ दिनो तक इसे रखना चाहते हो, तो उन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़को के लिये सीट्स रिजर्व कर देनी चाहिये।

सभापति महोदय · अब आप समाप्त कीजिए। आप 14 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रामदेनी राम मेरा कुछ समय बीच मे व्यर्थ गया है।

सभापति महोदय : वह समय निकाल दिया है। अब आप दो मिनट मे खत्म कीजिए।

श्री राम देनी राम : मुझे पांच मिनट और दिया जाये।

मेरा सुझाव है कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए काफी आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिये। तथा और छात्रावासों की व्यवस्था करना भी जरूरी है। आवासीय विद्यालयों में खाने और रहने की पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए, तभी ये लोग आगे बढ सकते हैं।

15 hrs.

जहाँ तक न्याय का सवाल है, आप जानते हैं कि अबतक कानून गरीबों पर शासन करता आया है और धनवान कानून पर शासन करते आये हैं। इस

[श्री राम सेवी राम]

व्यवस्था को तोड़ना होगा। मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि आज जुडीशियरी संविधान की हत्या कर रहा है। गरीबों को जैसा न्याय मिल रहा है आप सब जानते हैं। गरीब लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट तक जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते। इस देश में कितने गरीब हरिजन या आदिवासी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत है? जहां फैसला होने में 20-20, 25-25 साल तक लग जाते हैं। मैं चाहूंगा कि न्यायिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो जिससे कि गरीबों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके।

सभापति जी, जहां तक जुडीशियरी में बहाली का प्रश्न है उसमें शत प्रतिशत हरिजन और आदिवासियों को इन्कार किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आरक्षित कोटे के मुताबिक तो कुछ-न-कुछ उम्मीदवारों को चुन लिया जाता है और कोटा पूरा करने का प्रयास होता है। लेकिन जहां तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली का संबंध है वहां यह प्रयत्न रहता है कि कोई हरिजन या आदिवासी प्रवेश न करने पाये। इस संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट में भी जजों की बहाली में आरक्षण करने की अनुशंसा की है।

15.01 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

"संविधान में उच्च न्यायालय के जजों की प्रदत्त महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थिति का देखते हुए उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति पूर्णरूप से योग्यता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाती है और अन्य बातों का विचार नहीं किया जाता है। किसी विशिष्ट जाति अथवा समुदाय के पक्ष में इन नियुक्तियों के लिए आरक्षण करना वांछनीय नहीं है।" यह डिनायल आर्गमेंट है। परन्तु सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संघीय सेवाओं तथा राज्यों की सेवाओं के तथा पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण के दावे की अनदेखी नहीं की जा सकती। विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन जिला जजों और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था करने की कानूनी अनुमति नहीं भी हो तो क्या यह संभव नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) से परे स्वयं संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन ही स्वतंत्र रूप से ऐसा किया जाए? इस समस्या का समाधान उपयुक्त विशिष्ट संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 335 के कार्य क्षेत्र एवं परिसीमा के उचित निश्चय पर अनिवार्य रूप से निर्भर करेगा।"

पहले आर्गुमेंट से हम किसी भी हरिजन को बहाल नहीं कर सकते इससे साबित होता है कि हरिजन आदिवासियों के प्रति नियत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, लेण्ड रिफार्म्स की समस्या को भी जल्दी से जल्दी हल किया जाए। करीब 15-20 वर्ष से भूमि सुधार के कार्य हो रहे हैं लेकिन वे अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें गति लानी चाहिए और जल्दी से जल्दी भूमि समस्या को हल किया जाना चाहिए। जिस तरह से आपने आदिवासियों के लिए एक ला बनाया है—रेस्टोरेशन आफ लैण्ड फॉर आदिवासीज—उसी आधार पर हरिजनों की समस्या को भी हल करने हेतु कानून बनाना चाहिये। बहुत से हरिजनों का अपनी जमीनों से जबरदस्ती बेदखल किये गए हैं। उन हरिजनों की जमीनें वापिस मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में लाठी और बन्दूक की लड़ाई हो रही है। यह अब बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम हथियारों को उन लोगों से छीन लें वरना हरिजन आदिवासियों के हाथ में भी हथियार थमा दें ताकि बराबर की लड़ाई हो। बिहार के गया जिले के बेलछी गांव में हरिजनों की हत्या की गई थी। मुझे जांच कमेटी का चेयरमैन बनाकर वहां भेजा गया था। मैंने वहां जाकर देखा था कि किस तरह से निहत्थे हरिजनों को गोली से मारा गया था। जिस बेरहमी से उनको मारा गया उसको देखकर किसी भी व्यक्ति का हृदय दहल जाएगा। जांच के उपरान्त हरिजन एक नवयुवक आकर मुझसे मिले और बोले कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल आप बन्दूक दिलवा दें, अपनी रक्षा हम कर लेंगे। और कोई मदद हम नहीं चाहते। बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर ने गन देने की घोषणा की है और हथियार मिलने भी शुरू हो गए हैं। उसे पूरा करना चाहिये। उन्हें बन्दूक मिलनी चाहिये।

एम पी बनने के बाद मुझे देश के कई भागों में जाने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि दिल्ली के सौ मील के रेडियस में जितनी दौलत अब तक खर्च की गई है उतनी हिन्दुस्तान के अन्य भागों में नहीं की गई है। यही वजह है कि दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों को देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि हिन्दुस्तान तरक्की कर गया है, विकसित देश के मुकाबले में आ गया है लेकिन वास्तव में सच्चाई दूसरी है। भारत के अन्य भाग में न रोड की व्यवस्था है, न हरिजनों के पढ़ने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था हो पायी है। आजादी के पहले का दृश्य अभी भी दिखायी देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पर आरोप लगना शुरू हो गया है कि यह सरकार यथावत स्थिति की सरकार है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार प्रगतिशील कदम उठावे। हमने वादा किया था कि हम देश की कोटि-कोटि जनता के बीच समानता लायेंगे। उस वादे से हम पीछे न हटें।

गांधी जी का दिया हुआ अन्त्योदय का प्रोग्राम प्रधान मंत्री ने लागू किया है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमने मार्जिनल फार्मर्स के लिए, स्माल फार्मर्स के लिए स्कीमें बनाई हैं। मार्जिनल या स्माल फार्मर्स का नाम रेवेन्यू अफसर या मुखिया से पूछा जाता है। तीन हजार रुपया इनके लिए निर्धारित किया है।

परन्तु मुखिया दो सौ रुपया लेता है तब इसका सर्टि-फिकेट देता है कि यह मार्जिनल या स्माल फार्मर है। जो उस दायरे में नहीं भी आता है उसको भी दो सौ रुपया लेकर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। रेवेन्यू अफसर के पास जाते है तो वहां चार सौ रुपया देना पड़ता है। ऐसी अवस्था में यह अन्त्योदय प्रोग्राम क्या सफल कहा जा सकेगा? मेरा सुझाव है कि प्रत्येक प्रखंड में आप एक लिस्ट बना दें कि कौन कौन और कितने मार्जिनल फार्मर हैं, कौन कौन और कितने स्माल फार्मर हैं, और लिस्ट देखकर आप यह पैसा दे दें ताकि किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत न पड़े।

हमारा जिला बहुत बदनाम जिला है पलामू बिहार का। भारत में बांडिड लेबर का ईजाद वहीं हुआ है। यह ठीक बात है कि वहां हजारों लोग बांडिड लेबर से फ्री हो चुके हैं लेकिन अभी भी हजारों हजार की संख्या में वहां बांडिड लेबर हैं। मेरा आप से पुरजोर अपील है कि आप सख्ती से बाउंडिड लेबर को वहां रिलीज कराएं। हिन्दुस्तान का कोई गांव नहीं है जहां बांडिड लेबर न हो। वहां भी आप इस को फ्री कराएं। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो यह हमारे ऊपर एक कलंक होगा कि 32 बरस की आजादी के बाद भी हम बांडिड लेबर को फ्री नहीं करा सके हैं।

जमशेदपुर की घटना जो अभी घटी थी वहां जो रायट हुआ है, उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हरिजनों और मुसलमानों के एक ही मुहल्ले हैं, एक ही मुहल्ले में वह वे दोनों रहते हैं। उनमें कोई झगड़ा नहीं। भाई चारे के सम्बन्ध उनमें थे। लेकिन बाहर से हजारों आदमीयों ने आ कर एक बैंक उनके घरों में घुस कर और उन को लूटा और उनको मारा। बाद में पुलिस वहां आती है तो हरिजन नौजवानों को और मुसलमान नौजवानों को पकड़कर ले जाती है। अगर पुलिस को पांच सौ रुपया दे दिया जाता है तो वह उस आदमी को छोड़ देती है। हरिजन युवक कालेज पढ़ने वाले भी एरेस्ट हुए हैं। मुसलमान भाईयों ने आ कर कहा कि इन से हमारी कोई अदावत नहीं है, यह हमारे भाई हैं, इन्होंने हम को प्रोटेक्शन दिया है, इनको छोड़ दिया जाए लेकिन इन को छोड़ा नहीं गया। इसी तरह से मुसल-मान नवयुवकों को बन्द करते वक्त हरिजन भाईयों ने कहा कि इनको न पकड़ें इनसे तो भाई चारे का इनसे सम्बन्ध है। दंगा करने वाले तो बाहर के लोग हैं। लेकिन उन को भी नहीं छोड़ा गया। मैंने मुख्य मंत्री बिहार को इस सम्बन्ध में लिखा है, देखते हैं क्या होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Reports under discussion of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not ordinary reports because they pertain to the working of the Constitutional safeguards. Such of those who understand the implications and the importance of the constitutional safeguards should realise that in case such safeguards fail, then everything fails. Therefore, all the people must realise the importance of constitutional safeguards. These safeguards are not begged, but earned, and are achieved by long struggle and fight by late Dr. Ambedkar. for thirty years. Therefore, he gave them a sort of powerful personality and the Schedulde Castes were brought up on a level, which was there never before. But unfortunately, all these constitutional safeguards have been reduced to the position of gram panchayat rules and they are not being implemented at all.

When I questioned in a Parliamentary Committee the Secretary in the Ministry of Home Affairs as to who is responsible and whether there is an organisation in the Ministry of Home Affairs to implement the constitutional safeguards, the reply given by him was that the Home Ministry is not responsible for implementing the constitutional safeguards. When I asked further, whether the Cabinet as a whole is responsible for implementing the constitutional safeguards, to that also, the Home Secretary replied in the negative. Then I asked: Who is responsible? He said that the whole Government, the Union Government and all the State Governments put together are responsible. These are the utter irresponsible ways in which the administration is being carried on in so far as the implementation of the constitutional safeguards are concerned. The office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is a constitutional office, an exceptional office, and I think there is no superior officer over and above the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But even then he is reduced to the position of a clerk and he is not being allowed to exercise the powers which are vested in him. The Government should be clear enough and plain enough and should answer whether the constitutional safeguards have failed or have been successful. If they have failed for the

[Shri B. C. Kamble]

last thirty years, I will not shed a single tear if you scrap them. Scrap them if you do not want to implement them. Don't keep them as idle things. If you don't want them, it does not matter. But if you want them, implement them properly. If you are not able to implement them what is the reason?

Having regard to the reports, what we find is that the Government either this Government or the previous Government, both the Governments were not at all keen in implementing the constitutional safeguards. Both the Governments had no conception of what constitutes 'untouchability' and how it can be removed. Similarly, with regard to the economic development, when I had put a question, what is the per capita income of a Scheduled Caste and Scheduled Tribes person, the answer was that we have no such statistics at all. Therefore, there is no clear conception with regard to the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as such.

There was a 20-point programme by the Indira Gandhi Government and the Janata Government has got a 40-point programme, double the number What is the use of that? In these Reports, what we find is a very peculiar situation that the judiciary has stepped into such a sphere saying that the Judges of the Supreme Court and the High Courts constitute a State and, therefore, there cannot be any reservation in so far as the posts of the Judges of the High Courts, much less of the Supreme Court, are concerned. This is an extra-ordinary argument coming from the judiciary that we have heard in the history of India. The monarchs used to claim that they constitute a State. But we have never before heard the Judges saying that they constitute a States. Therefore, we would like to get a categorical reply from the Government whether what the Judges of the High Courts and the Supreme Court say, that they constitute a State, is correct or not. What is the attitude of the Government in so far as the reservation in the posts of the Judges of the High Courts and the Supreme Court is concerned!

What I am thinking is that the constitutional safeguards are not liked by the people. If that is so, that should be ascertained, whether the constitutional safeguards are liked by the people, whether they are liked by both Houses of Parliament, whether they are liked by the Cabinet, whether they are liked by the judiciary There must be some goodwill. If there is some goodwill, then only we can work them out. If there is any hostility against constituional safeguards, either by Parliament or by Cabinet or by the judiciary, these constitutional safeguards cannot be implemented at all.

Coming to the question of untouchability, what we read in the Reports is that there were certain plays, dramas and discussion. Are you going to remove untouchability by having plays, dramas and discussions? Is that the concept of your policy? I would plead with the Government that their policy what is called the Harijan policy, enunciated long back during Nehru's regime, during Mrs. Indira Gandhi's regime, and which continues today during the Janata Government's regime should be examined afresh. The so-called Harijan has been reduced not only to second-rate citizen, not to third-rate or fourth-rate, but to a fifth-rate citizen. They are called panchamas. The Harijan has been reduced to the position of a sub-human. That policy has not succeeded. I plead with the Government to have some other policy. If the Government is not very particular about implementing the constituional safeguards, if the Hindu community as a whole is not prepared to give legitimate share to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I would like to warn the Government in this House that India will cease to be a Republic. What is the meaning of "Republic"? A Republic means, all communities share power and, therefore, that alone will constitute India as a Republic. If the Sche-

duled Castes and Scheduled Tribes are not able to enjoy the legitimate power and share in the administration; it means, they are shut out from their rights in the enjoyment of the Republic. Therefore, it is for the Government and particularly the Prime Minister to do something about it.

I know the Prime Minister intimately. The Prime Minister has declared, I do not know on what basis, that he will remove untouchability within a period of five years I would grant him 50 years, not 5 years I want to know whether within 50 years, he will be able to remove untouchability Merely by making slogans and dealing with the constitutional safeguards in a half-hearted manner is not only to defraud the Scheduled Castes and Scheduled Tribes but is to defraud the Constitution and to defraud the nation Therefore, the Government is defrauding the nation and not only the Scheduled Cast and Scheduled Tribes These two communities are the biggest sources of conversion Make a note these are the biggest sources of conversion If you neglect them you will have to face their conversion either into Christianity or Buddhism or the Muslim faith. If you don't want to treat them as your own brethren on an equal basis, you must take this warning I do not know what is going to happen so far as the Christian community is concerned, but there is a reference in the Commissioner's report to the Buddhists They were given some concessions so far as scholarships are concerned. If the basis of giving the scholarships is that they are not so economically developed, then other constitutional safeguards, except the political safeguard, should be given to them. I am not prepared to accept that conversion to Buddhism has no effect upon us, the converted Buddhists We are far more enlightened, conscious and organised than before

Now the forty-sixth Constitution Amendment Bill is coming, and I will speak on the Bill. But I would like to know whether a single person as Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not adequate. Can you not give enough staff to the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes? What are you going to achieve by appointing a Commission of more than one person? Is that going to solve the problem? When the Bill comes up, I will make my speech so far as the implications of the Bill are concerned

My last submission is that, when the constitutional safeguards were discussed in the Constituent Assembly, then there was a bitter fight between Dr Ambedkar and the Congress but they arrived at an understanding. Now, after 30 years, let there be another understanding If the people are against constitutional safeguards, we are prepared to give them up Scrap them, delete them up But I would like to plead with the Hon. Members who were elected to reserved seats, that if they want to retain them, they must fight in this House for the proper implementation of the constitutional safeguards Don't give up that responsibility and retain the seat only I would like to go further and say that so far as the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, such of the Members—I think there are as many as 120 in this House —who were elected to reserved seats should fight for this cause. These seats are being captured by various political parties who do not have any kind of responsibility for the welfare of these people. Whether it be the Indira Congress Party or the Janata Party or the Communist Party, they are capturing the seats for their own purpose, regardless of the welfare of these classes which they are duty bound to achieve. Therefore, I would make this appeal; leave the Scheduled Castes alone, No Party, either the Janata Party or the Indira Congress or any other Party, should contest these seats. In case the constitutional safeguards are to be extended or continued no Party should contest these reserved seats either in the Lok Sabha or the various legislative

[Shri B. C. Kamble]

Assemblies. Let the Scheduled Castes and Tribes organise themselves properly and fight on their own. That is one way of doing the thing. Another way of doing it is that, so far as this problem is concerned, every Member of this Lok Sabha should take his own line. They should tell point blank their political parties "in other matters we are with you, we abide by the discipline and shall vote with you, but so far as the Scheduled Castes and Tribes problem is concerned we are not with you, we do not belong to any political party; we belong to this very cause and we shall champion the cause. We shall see that the constitutional safeguards are implemented and if they are not implemented we shall keep the Government on its toes and fight inside the House."

Finally I do not want that there should be any bitterness, but I am suggesting that if you want to continue the constitutional safeguards, then implement them and if you do not want them, scrap them.

श्री आर० एल० राकेश : (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मवियों की चली आती गन्दी परम्परा, जातिवादी व्यवस्था, इंसान को ऊंच नीच कहने की परिपाटी, जातिवाद के पोषक, हिन्दू धर्म के ठेकेदार, इंसान इंसान में नफरत पैदा करने के केन्द्र शंकराचार्य लोग है । इस सन्दर्भ में मैं 1 से 7 अक्तूबर तक के "रविवार" अंक 6, खंड 2 में पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पुरी के शंकराचार्य ने हरिजनों के बारे में जातिवादी व्यवस्था को पुष्टि करते हुए कहा है कि "भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने शरीर से बनाया और सब का काम बांट दिया है और यदि जो काम दिए गए हैं उस के अनुसार, (अपनी जाति के अनुसार) लोग काम नहीं करते हैं तो अनर्थ हो जायेगा ।"

फिर आगे चल कर कहा है कि काम बदलेगा तो उत्थान नहीं पतन होगा ।

फिर आगे कहा है कि "हरिजन संन्यास नहीं ले सकता, अधिकारी ही नहीं है । सन्यास लेना उस के लिये अपराध है ।"

सन्यास कौन ले सकता है इस सन्दर्भ में कहा है कि "हमारे यहां तय है कि ब्राह्मण के अलावा कोई भी सन्यास नहीं ले सकता है ।"

पुन: इंसान और इंसान में नफरत पैदा करने के लिए, मजहब के नाम पर पुरी के शंकराचार्य ने कहा है कि "मुसलमान मुसलमान के घर में चोरी करना पाप समझता है, हिन्दू के घर में चोरी करना पाप नही समझता है । मुसलमान मुसलमान के धन को चुराना पाप समझता है किन्तु हिन्दू के धन को चुराना पाप नही मानता है ?"

फिर आगे चल कर कहा है कि "हिन्दुओं की मां, बहन और बेटियो को चुराना मुसलमान पाप नहीं मानता है और वे चुराते हैं ।"

इस ढंग की जिसमें भावना हो, जो शंकराचार्य इंसान इंसान मे मजहब और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हों, बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इस मुल्क की प्रधान मंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी । । वर्षों तक पीली चुटिया और पीले वस्त्र बाधे ऐसे शंकराचार्यों के पैर पूजती रही हैं । इस के बाद जनता सरकार आई तो इन नफरत पैदा करने वाले शंकराचार्यों को जेल के सीखचों के अन्दर बन्द होना चाहिए था लेकिन आज वह मठों मे ऐयाश की जिन्दगी बसर कर रहे हैं ।

इसी संदर्भ मे मैं यह बतलाना चाहता हूं कि चाहे वह कानोडिया धर्मपुर, बेलची या विश्रामपुर का कांड हो या आगरा का काड हो, अथवा अलीगढ़ या जमशेदपुर का कांड हो, इस सब के लिए ऐसे ही जहर उगलने वाले शंकराचार्य जिम्मेदार है और ऐसे शंकराचार्यों के खिलाफ कडी से कडी कार्यवाही होनी चाहिए । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 7 अक्तूबर को पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव ने इस ढंग का बयान दिया, इस के बाद कितने बड़े बड़े कांड इस धरती पर हुए है, इस के बावजूद भी गृह मंत्रालय के कान पर जूं नही रेंगती है और अभी तक शंकराचार्य के खिलाफ कोई कार्यवाई नही हुई है ।

साथ ही साथ मैं उन लोगो को भी बतला देना चाहता हू जो ऐसे शंकराचार्यों को खुश करने के लिये "धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक" इस सदन में ला कर पास करने की इच्छा रखते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक जिसे शंकराचार्यों को खुश करने के लिए सदन में लाए जाने की साजिश हो रही है, इस सदन से पास नहीं होने वाला है और उन की मंशा पूरी नही होने वाली है । जैसा कि कल मेरे साथियों ने कहा कि हम एक समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते इन्सान इन्सान के बीच की खाई पाटी नहीं गई, समय रहते इस देश में अछूतों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो धर्म परिवर्तन से उन्हें कोई रोक नही सकेगा । यह स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है और यह हो कर रहेगा ।

इस सदन में कई साथियों ने इस देश के कोने कोने में हरिजन आदिवासियों पर हो रहे जुल्मों का विवरण किया है । जहां एक ओर उनके पेट पर लात मारी गई वहीं दूसरी ओर उनकी भावनाओं को भी आघात पहुंचाया गया है । 12 तारीख को मुजफ्फरनगर के एक मोहल्ले में रविदास जयन्ती को रोक दिया गया । वहां के कलक्टर ने खड़े हो कर रविदास जयन्ती को रुकवा दिया । जो आयोजक थे सैकड़ों लोग, उन पर लाठी डंडे बरसाये गये, उनकी बहू बेटियों की

इज्जत लूटी गई और छोटे छोटे बच्चों को पैरों तले दबाकर हत्या कर दी गई। लेकिन आज तक जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इसी प्रकार 4 मई कोजिअलीगढ़ के थाना सिकन्दरा राऊ, कस्बा पुरदिल नगर में जब अम्बेदकर जयन्ती मनाने का आयोजन किया गया तो आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उनका आज तक पता नहीं चल रहा है। न तो वे जेल में हैं न पुलिस कस्टडी में है। पता नहीं कहा हैं। उन लोगो के परिवार पीड़ित है। मैं कहना चाहता हू आज इस देश में ज्यादातर रविदास और अम्बेदकर के अनुयायी हैं उनकी भावनाओ पर कुठाराघात पहुंचाया जा रहा है। सन्त रविदास और डा० अम्बेदकर की जयन्तियों को मनाने के लिए कभी कोई सरकारी पैसा खर्च नही किया जाता है। गाधीजी की जयन्ती, नेहरू जी की जयन्ती तथा राम और कृष्ण जयन्ती मनाने के लिए सरकार पैसा खर्च करती है लेकिन उसके बावजूद मुट्ठी भर उनके चेले दिखाई देते हैं जब कि रविदास और अम्बेदकर जयन्तिया मे करोड़ो लोग दिखाई देते है। दुनिया के किसी भी नेता की जयन्ती, राम भगवान की जयन्ती का केवल एक दिन ही आयोजन होता है लेकिन रविदास जयन्ती और अम्बेदकर जयन्ती महीने मनाई जाती है और देश के कोने कोने मे मनाई जाती है। आज गाधी, नेहरू के चेले घट रहे है पर देश मे रविदास अम्बेदकर के अनुयायियो की सख्या बढ रही है। इन तथ्यों के बावजूद हमारी भावनाओं का आघात पहुचाया जाता है। मुझे किसी से भी कोई नफरत नही है लेकिन सेन्ट्रल हाल मे जिन महानुभावों के चित्र लगाए गए है उनके व्यक्तित्व की तुलना में डा० अम्बेदकर का व्यक्तित्व उन्नीस नही बल्कि बीस था। उन्होंने इस देश के सविधान को बनाया है, इस देश को एक दिशा दी है लेकिन उनका कोई चित्र सेण्ट्रल हाल मे नही लगा है कदाचित इसीलिए कि वे अछूत बिरादरी से सम्बन्धित थे। हम इस देश के सविधान का पालन केवल इसलिए नही कर रहे है कि वह इस देश का सविधान है, सविधान में हमारी आस्था मात्र इसलिए नही है कि वह इस देश का संविधान है अपितु हमारी आस्था इसलिए भी है कि इस सविधान को एक अछूत ने बनाया है। लेकिन जिस ढग से सविधान की धाराओ का मखौल उड़ाया जा रहा है उसको देख कर ऐसा लगता है कि पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में कोई फर्क नही है। माना कि हमारी सरकार के रिजीम में कई गवर्नर बना दिए गये, लेकिन पिछली सरकार के रिजीम में तो बहुत प्रयासों के बावजूद भी, बहुत चिल्लाने के बावजूद एक भी गवर्नर नही बनाया गया किसी को मुख्य मंत्री नहीं बनाया गया। हमारी जनता सरकार ने कई गवर्नर बनाये हैं, कई मुख्य मंत्री बनाये हैं और मुझे यह भी आशा है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा, तो उस पर भी किसी हरिजन को उपराष्ट्रपति बनाया जायगा।

पर सरकारी नौकरियों में हरिजन पदाधिकारियों के साथ बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। उन का कोटा भरने की बात तो दरकिनार रहा, जो नौकरियों में पहुंच गये हैं उन की पदोन्नति में तरह तरह की अड़चनें डाली जा रही हैं। पदोन्नति के एक वर्ष पहले ही उनकी रिपोर्ट को खराब कर दिया जाता है। समयाभाव के कारण मैं सरकार के प्रत्येक विभाग के आंकड़े तो प्रस्तुत नही कर सकता, लेकिन उदाहरण के तौर पर रेल विभाग के आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वहां हरिजन कर्मचारियों और अधिकारियो के प्रति किस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है।

रेल विभाग में —

1. श्री पी० एल० भरागन—टी० आई०, लखनऊ।
2. श्री मिश्री लाल, टी० आई०, प्रयाग .
3. श्री रामजीत राम, एम० एस०, वाराणसी
4 श्री आर० डी० राय, टी० आई०, सुलतानपुर
5 श्री विश्राम सिंह, एस० एस०, टूण्डला
6. श्री नाथूराम, एस० एम०, चन्दौसी
7. श्री श्याम सुन्दर लाल वर्मा, पी० डब्लू० आई०, लोहारू
8 श्री छत्तरपाल सिंह, ए० पी० डब्लू० आई०, लोहारू
9 श्री जी० आर० सहयोगी, ए० पी० डब्ल्यू० आई०, बीकानेर
10. श्री भास्कर राव, वर्कशाप सुप्रीण्टेण्डेण्ट लखनऊ।
11. श्री राम खेलावन, ए० पी० ओ०, हेडक्वार्टर
12 श्री आर० डी० डागोरे, ए० पी० ओ०, दिल्ली।

ये सब रेलवे के वे पदाधिकारी है जिन की पदोन्नति इसी जनवरी में होनी थी, लेकिन उन की कन्फीडेन्शल रिपोर्ट को खराब कर दिया गया, जिस की वजह से उन की पदोन्नति नही हो सकी।

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि एमर्जेन्सी के समय मे तो बहुत से अत्याचार हुए, जिन के उदाहरण आप को अन्य स्थानों मे नही मिलेंगे, लेकिन दुख यह है कि एमर्जेन्सी में सताये जाने के बाद जो लोग सत्ता में आये—उन के समय में भी ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जिन के उदाहरण आप को नहीं मिलेंगे। समस्तीपुर डिवीजन मे शम्भूनाथ नाम के एक गुड्स क्लर्क थे। उस का प्रमोशन कर के उस स्थान से ट्रांस्फर कर के उसी डिवीजन में दूसरे स्थान पर भेजा गया। जब वह रिलीव हो कर अन्य स्थान पर पहुंचे तो उन को उस नई जगह का चार्ज नहीं दिया गया। 11 महीने से वह व्यक्ति बिना तनख्वाह के रेल मंत्रालय के चक्कर लगा रहा है, कभी मंत्री जी आदेश देते हैं तो उन का पी० ए० उस को रोक लेता है। कभी पी० ए० खुश हो जाता है, पता नहीं कैसे खुश होता है, तो उन के चेयरमैन उस को रोक लेते हैं, नीचे के पदाधिकारी रोक लेते हैं, बड़ोदा हाउस

[श्री आर० एन० राकेश]

रोक लेता है, जी० एम० रोक लेता है—समझ में नहीं आता कि यहां पर क्या हो रहा है। नौकरियो के सम्बन्ध मे मैं इतना स्पष्ट बतला देना चाहता हूं—कि सरकार की नीयत इस बारे मे साफ़ होनी चाहिये। जब तक सरकारी नौकरियो मे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा न भरे, तब तक उन सभी लोगों को जो बेकार हैं, बेकारी भत्ता उन की शिक्षा के अनुसार दिया जाय।

मेरी दूसरी माग यह है कि जो अधिकारी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियो के उत्पीडन के लिए जिम्मेदार हैं—उस उत्पीड़न का मुआवजा उन की निजी सम्पत्ति और तनख्वाह मे वसूल कर के उत्पीड़ितो की क्षतिपूर्ति कराई जाय।

मेरे कुछ साथियो ने कहा कि मत्रियो की नीयत साफ नही है, इसी लिए किसी भी विभाग मे हमारा कोटा पूरा नही है। मै भी इस बात की पूरी ताईद करता हू। साथ ही साथ इस तथ्य से भी इन्कार नही किया जा सकता कि अधिकाश मत्रियो के महकमो मे—कही उन के पी० ए० हुकूमत करते हैं और कही अफसरशाही उन पर हावी है। जहां तक आटोनामस बोडीज की बात है, मत्री लोग इतने कमजोर अपने का महसूस करते हैं कि एक सही काम नही करा सकते लेकिन हजार गलत काम को भी वे रोक नही सकते। इसीलिए वहा अनुसूचित जातियो और जन जातियो का सवाल हल नही होता है। उन के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस का कोई देखने वाला नही है। इस सदर्भ में मै यह बताना चाहता हू कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट मे जिन सस्थाओ के माध्यम से अनुसूचित जातियो और जन जातियो को सरकारी धनराशि के आवटन का उल्लेख किया गया है ये सब सस्थाए, शेडूल्ड कास्ट्स और आदिवासियो की सेवा करने की बात तो दूर रही, अपना ही पेट भरने मे लगी हुई है। आप यह देखें कि जिन गाधी नेहरू के चेलो को एम० पी० या एम० एल० ए० का टिकट नही मिलता था और वे एम० पी० या एम० एल० ए० नही बन पाते थे, तो हरिजनो नाम पर और आदिवासियो के नाम पर, ये सस्थाए इन चेलो को दे दी गई और वे इन सस्थाओ से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन सस्थाओ से शोषित वर्ग या अनुसूचित जातियों और जनजातियो का कोई फायदा नही होने वाला है। इसलिए या तो ये सस्थाए हरिजनो के हाथो में दे दी जाएं, आदिवासियो के हाथों में दे दी जाए या फिर इन को समाप्त कर के जितनी भी सुविधाए आप इन लोगो को देना चाहते है, वह सरकारी मशीनरी के द्वारा बटवाई जाए अन्यथा यदि यह प्रथा समाप्त नही होगी तो हरिजनो को कोई फ़ायदा नही होगा। वस्तुत यदि ऐसे ही मामला चलता रहा, तो इस देश के दलितो का भला नही होने वाला है।

इन के साथ ही साथ मुझे गृह मत्रालय के मत्रियों पर तरस आता है। कुछ दिन पहले माननीय चौधरी साहब इस के मत्री थे तो उन्होने मानो इस देश के दलितों की बात को न मानने की कसम खा ली थी। इसके बाद जब दूसरे चौधरी साहब आए, तो सेर के सवा सेर निकले। यदि उन को 300 एम० पीज० भी सत्य लिख कर दे देवें, तो उन की बात को वे मानने के लिए तयार नही हैं लेकिन दो रुपये वाला जो थाने का दीवान है, वह सरासर झूठ लिख कर भेज दे, तो उस को वे सत्य मान लेते हैं। मैं तो यह समझता हू कि वे मिनिस्टर तो बन गये है लेकिन अभी अफ़सरशाही उन की उतरी नही। आख मूदकर इसलिए वे नीचे की करी-कराई पर अपनी हामी भर देते हैं और अपने कलम की चिड़िया उस पर बैठा देते हैं, यही कारण है कि जब इस देश के दलितो का सवाल आता है, इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल आता है, तो फिर चाहे वह उत्तर में होता हो, चाहे वह दक्षिण मे होता हो, चाहे वह पूरब मे होता हो और चाहे वह पश्चिम में होता हो, हिन्दुस्तान के किसी भी कोने मे इस देश के हरिजनो आदिवासियो और दलितो पर कोई जुल्म होता हो, तो गृह मत्री भी यह तो कहकर कि यह प्रान्तो का मामला है हम कैसे दखल दे सकते है, टाल देते है। पर इससे काम चलने वाला नही है। अगर प्रान्तो का मामला है तो प्रान्तीय सरकारे देखें, आप क्यो केन्द्रीय गृह मत्री बनकर बैठे है और यह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर यहा बहस क्यो होती है। सच तो यह है कि इस देश के अछूतो की, इस देश के हरिजनो की, इस देश के दलितो की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नही है? उनका भला तब तक नही हो सकता है जब तक कि उनके लिए एक सेपरेट हरिजन मिनिस्ट्री न बन जाए। मै जोरदार शब्दो मे सेपरेट मिनिस्ट्री की माग करता हू और आपको स्पष्ट शब्दों में बतला देना चाहता हू कि इन सारे के सारे लोगो की एक भावना हो चुकी है, सब दलो के लोगो द्वारा जोरदार शब्दो मे आपके सामने यह मांग है और आगे बोलने वाले वक्ताओं की भी यह माग होगी कि एक सेपरेट हरिजन मिनिस्ट्री होनी चाहिए। अगर एक सेपरेट मिनिस्ट्री आगामी सदन की बैठक मे पहले नही बन जाती, तो हम सब लोग सामूहिक सदन का बहिष्कार करेंगे। इसलिए मै यह अनुरोध करूगा कि हमारी माग को समय रहते सरकार स्वीकार करे और सेपरेट हरिजन मिनिस्ट्री की माग को कतई टरकाये नही। इस माग को स्वीकार किया जाए क्योकि इस देश के पाचवी हिस्से की जनता की यह मांग है। अगर ऐसा नही किया गया, तो यह उनका अपमान होगा और उनकी भावनाओ का सम्मान आपको करना चाहिए।

इन शब्दो के साथ मै कोटि कोटि दलितो की व्यथा को केवल इतना कहकर समाप्त करता हू कि—

"मुद्दत गुजरी है यही, खामोश रहते रहते
हम मरहूम हुए है जुल्म सहते सहते
आता है तूफान, मगर खामोश है सिन्धु
अब शोले बन रहे है ये आसू बहते बहते।"

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने गरीबों की आवाज उठाने का मौका दिया है।

SHRI P. A. SANGMA (Tura): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes constitute one-fifth of the total population of this country. The fate and the future of these one-fifth people among the total population of this country has been the subject matter of the debate and the discussion in the Constituent Assembly, after which, certain provisions have been made in our constitution to protect and to safeguard the interest of these scheduled castes and scheduled tribes people.

After the Constitution has been enacted, this House has discussed the fate and the future of these scheduled castes and scheduled tribes people—I don't know how many times in the last 32 years. Several Commissions have been appointed. Several thousands of leaders have shed their crocodile tears ..

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Tons of it!

MR. DEPUTY-SPEAKER: Gallons!

SHRI P A SANGMA: After all that has been done so far. The result according to Report is this. I quote from this Report.

Three decades of independence and the dawn of freedom is yet to bestow a willing smile on many a hamlet and slums of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They continue to submit to the decrees of fate rather than have the benefits of the decrees of our basis law. Liberty, Equality and Fraternity, so richly ensharmed in the Constitution of the country have still to acquire any meaningful proposition for most of them. Untouchability has been abolished by Article 17 of the Constitution but those whose article of faith in this pernicious persuasion is superior to an article of the Constitution choose to defy the fundamental law with impunity.

That is law, such as the Protection of the Civil Rights Act, with more stringent provisions to eradicate untouchability, had to be enacted in the thirtieth year of our freedom by amending the Untouchability Offences Act, 1955 bears ample testimony of the fact that we continue with our sin cf denying basic human rights to quite a sizeable section of our people.

There are many areas in the country where the Scheduled Castes are denied even common sources of drinking water. At places. they dare not take out funeral processions through the same route on which others do.

The nation's resolve made with due solemnity to secure to all the citizens 'Justice—social, economic ' has remained just a promise, honoured perhaps more in breaches in the case of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Political justice, even if available, loses much of its meaning if it is bereft of the social and economic justice

After reading the Commission's Report, I thought, today is the fourth day that the House is discussing this matter, I could not make up my mind as to whether I should participate in this discussion at all. I say this because of the fact that though discussions have been held, though many promises have been made, though many laws have been enacted, yet, the fate of these people just remain the same I don't see any useful purpose for discussing this matter when the fate of these people still remain the same. I think it is time for us to examine as to where is the real mistake. If 32 years of independence could not give any justice to these people, I think, we should see where the mistake lies. There are laws, but the real problem is the implementation of these laws. Many hon. Members have pointed out the lapses in this connection. Though there are provisions under our Constitution to safeguard and to protect their interests, yet, we find that the people who are implementing these law somehow do not like these laws. So, what is important is the change of attitude. What is necessary and

[Shri P. A. Sangma]

important is the re-education of the administrative personnel their outlook what is important is to restructure our social set up. Any amount of law, any amount of discussion, any amount of shouting on the floor of the House will not change the fate of these people. Unless there is a change of heart in those who are administering the country, in those people who are running this country, the economic and social status of these people will not improve. I would like to give some suggestions in this context, which, I think, will to some extent, solve the problem. There are two aspects of this matter. One is the social injustice, that is, atrocities done to these people which we are talking about and the other aspect is the economic aspect. I am proud to point out from the Report, Part-2, page 49.

> "As regards the atrocities on the Harijans and on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in the year 1974, 1975 and 1976, in the State of Assam, in the State of Manipur, in the State of Meghalaya, in the State of Nagaland and in the State of Arunachal Pradesh, there has been no case of any atrocities on Harijans."

I do not know about West Bengal. May be in West Bengal also, there were no atrocities during this period. Why I am pointing out this is that in the North-Eastern region, most of the States like Meghalaya, Nagaland. Manipur, Arunachal Pradesh etc. the majority of the people are Scheduled Tribes. So, the question of atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes does not arise, because we are ruling our own people. This kind of atrocity is happening only in those States where the majority of the people are the caste Hindus. Where the Scheduled Castes are in minority, the caste Hindus are exploiting them. Therefore, if you want to serve the cause of these people, I think, we should go in for having smaller States so that in those areas where Scheduled Caste and the Scheduled Tribes are predominent, they may be given a separate State and those people are in a position to run the administration according to their own genius. There are demands in Bihar, there are demands in Uttar Pradesh, that these States should be divided into smaller States. Therefore, in a compact area where the majority of population is SC and ST they should be given a separate State so that nobody can have any chance of exploiting those people Where it is not possible to grant them a separate State, I think some autonomy should be given to those districts where the majority of SC and ST people live Separate districts can be created within the States for this purpose so that in these districts there could be autonomy on the lines of the 6th Scheduled to the Constitution of India. Now, before small States were created in the North-Eastern region; all of us were under the State of Assam. Even then, we were in our own district given autonomy under the Sixth Scheduled of the Constitution of India. There was no question of atrocities even at that time. My humble suggestion today is, wherever it is possible, wherever SC and ST live in majority; they should be given political rights and once they are given political rights, social justice will automatically come. The only thing is that we should help them financially so that they may get the economic upliftment. The rulers of the country are taking shelter in the name of protection being given to them and that their welfare is taken care of by giving educational and other facilities in order to raise their economic and social status. Before we talk of protection of the scheduled castes and scheduled tribes, we should talk about the liberation of these people. We should liberate these people, give them political rights, give them social justice and give them equality and then we should come forward to help them financially. This is the only way to solve the

various problems facing the scheduled castes and scheduled tribes.

SHRI NATHUNI RAM (Nawada): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this House has been discussing the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the last few days. I am very happy that members from different political parties and Members belonging to the caste Hindus have shown a lot of interest in highlighting the problems of these people. They have tried to discuss the matter threadbare, but at the same time I am very sorry to mention that their interest in the problems of scheduled castes and scheduled tribes is limited only upto this House, outside we have been noticing for the last several years, since the independence of this country that they have been taking the least interest in the matter. What they speak on the floor of the House is quite opposite to what they do in practice outside.

It is a known fact that there is a clash of interest between the caste Hindus and the scheduled castes and scheduled tribes. Many countries of the world had certain identical problems like the one we have in this country. For example, the Romans had their slaves, the Spartans had their helots, the Britishers had their villains, the Americans had negroes and the Germans had their jews. And, we in India had the untouchables and tribes. But, there is one difference. Whereas these nations put up a serious effort and they succeeded in removing these evils from the society, unfortunately, the irony of fate in my country is that no serious effort has been made in this direction. This problem relating to the untouchables has been persisting in my country for a very long time and we are not able to find a solution to it.

I have a lot of respect for Mahatma Gandhi. To some extent, he made some efforts to ameliorate the conditions of these people. As soon as he took up the cause of untouchables and tribes, he became Mahatma Gandhi from Gandhi, but whereas when Baba Saheb Dr. Ambedkar took up the case of these people, he was branded traitor and broker of the British regime.

I was just hearing with rapt attention the points made by my young friend just now. He said that the reason why these atrocities were being committed on these people in this country was because of the scattered population of the scheduled castes and scheduled tribes throughout the breadth and length of the country. Where these people are in a compact area, there are no atrocities on them. Where the caste Hindus are in a majority, they have got the courage to put these people to all sorts of troubles. If the scheduled castes and scheduled tribes people are supplied with arms and necessary help, they will be in a position to protect themselves, put up a stiff resistance to the caste Hindus and teach them a lesson.

Sir, I must congratulate Shri Karpoori Thakur; he has taken certain steps in Bihar in this direction, but in U.P. the entire amount earmarked for the untouchables, and for checking these atrocities was surrendered on the score that there was no such trouble in U.P. As a matter of fact the position is quite contrary. In U.P., I think the larger number of atrocities took place. We had an opportunity to discuss this matter with the Chief Minister of U.P. He said since there was no atrocity, that is why the amount was surrendered. This is the intention of the Government!

16 hrs.

Certain young friends have mentioned that whenever atrocities come, those are highlighted in this House. The Central Government comes forward and expresses inability saying that it is a State matter. The State can deal with the law and order problem. What is this Central Government for? There is a moral responsibility of the Central Government to protect the people from atrocities.

[Shri Nathuni Ram]

Since time immemorial, society as well as the Government, both have been indifferent to us. We saw in this House yesterday and to-day too, how many Ministers come to listen us For twelve hours the debate went on on this subject but the Home Minister was not here. He did not come to express a word of sympathy. The Prime Minister had to reply on his behalf. What a sorrowful state it is! It is pinching not only the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but even caste Hindus.

How is the Government functioning or what is the attitude of the Government? I want to elaborate that. Earlier some of the hon. members have thrown light on this. After the partition Government had to face the problem of rehabilitation of refugees. If I am not mistaken, crores of rupees had been spent to rehabilitate the refugees from Pakistan. If I am not mistaken, with all apologies I may say,—if there is any correction I shall stand corrected—only a fraction of the money has been spent on the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. That was a temporary phase. Money was flooded like anything. But here comparatively, what is the amount earmarked for the amelioration of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe people? In this case Government is reluctant. People are equally reluctant. Neither the Government nor the people are willing to help. Because this Government is of the people As society will be, the Government will be there. This is the creation of the Society. Some of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are here. But we are not in a position to create a headache. Government may create headache. We will not be able to make an appeal. Since we are not in a position to do so, we are tolerating. We are hearing all these things and we are receiving such a treatment from the hon. Minister's side also.

They say that they want to understand the problem of the Scheduled Castes. I am very sorry to hear all this. If anybody wants to understand the problem of the Scheduled Castes, I would suggest that he should go to the remote part of this country and identify himself as the son of a cobbler or a sweeper. He can then judge whether he can receive garlands or insults. He will be able to understand the problem in the twinkling of an eye.

There has been Congress rule for about 30 years. Nothing tangible was done by them. The progress which is visible at the moment among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not on account of the administration or Society, but it is because of the pressure—technological and economic. Why should the credit go to you? Are you serious or sympathetic towards Scheduled Castes people? You want to rule over the Scheduled Caste people a hundred years more. So far as the propaganda is concerned. in paper everything is there. This is simply an eye-wash. Sometimes when telegrams in sympathy are sent from here against racial discrimination in other parts of the world, I have to hang my head in shame—when I see what is being practised here If there is a racial discrimination there, here is discrimination between a 'touchable' and an 'untouchable'. It is shame for this Government and for the people of this country living here that persons who believe in untouchability, send telegram in sympathy to the people subjected to racial discrimination. If we see the record of our forefathers, it is all manipulation; it is hypocracy and the history is coming up after a long period. Therefore, my submission is this. If the Government wants to do something tangible, it should come forward with certain measures and I am sure, the problems of Scheduled Castes can be solved.

20 crore Scheduled Castes are living in this country according to the census. If you go through the report of Dr. Ambedkar you will find how manipulation was made before 1940 and since then, the same conspiracy is still going on. As my friend, Mr. Suraj Bhan pointed out, there should have been two reserved seats in Delhi but because of their manipulation, only one seat is

reserved. The same thing is happening in Andamans also. I want to caution the Government that the Scheduled Castes people will no longer tolerate it. Though we can go without meal, we have got self-respect. The situation is becoming explosive day by day The entire country is sitting on a volcano and at any moment; eruption can take place.

Whatever progress you see among the Scheduled Castes it is on account of the technological pressure and the economic pressure. I caution you, if you are not giving to take note of all these things, the country will have to face a very explosive situation.

I do not want to repeat the other points which my other colleagues have already stressed

With these words, I conclude

श्री पीयस तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट यहा पर चर्चा के लिए पहली दफा नही आई है—वह पहले भी कई दफा आ चुकी है और आगे फिर भी आयेगी। इस समस्या का वर्णन कई पूर्ववक्ता कर चुके हैं। यदि उन बातो का फिर से दोहराया जाये, तो एक दिन या दस दिन नही बल्कि कई अरसे लगेंगे, क्योंकि यह समस्या एक बरस की नही है, वरन् हजारो बरसो से यह जाति पिसती आई है। आजादी के बाद भी इन लोगो की दशा म कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया है।

शायद यह समझना भी हमारी भूल है कि उच्च वर्ग के हमारे सभी भाई हमारे दुश्मन हैं और वे सभी चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही रहें और उनकी दशा में कोई सुधार न हो। बहुत से महात्मा भी हुए हैं, जिन्होने इन लोगो की दशा में सुधार के लिये बहुत से प्रयास भी किये हैं। लेकिन उसके बावजूद शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की आम अवस्था में कोई सुधार नही हुआ है। इसका मूल कारण हमारे विचार से दूसरा है। इस देश के रीति-रिवाज, धर्म और समाज की जो व्यवस्था है उसी में पहली गलती है। हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत दफा सलाह दी कि रामायण पढ़िये, उस से आप को शांति मिलगी। मैंने भी रामायण पढ़ना शुरू किया। देखा रामायण में लिखा हुआ है कि रामचन्द्र जी ने सीता को छुड़ाने के लिये बन्दरों की सेना बनाई। ये बन्दर कौन थे? वे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग थे। उनके लिये अभी तक भी धर्म पुस्तकों मे बन्दर की संज्ञा दी गई है, रामायण जिसको इतना पवित्र मानते हैं उसमें उनके लिए बन्दर लिखा हुआ है। तो पहला सुधार तो उसम होना चाहिए। हिन्दू धर्म मे इंसान को इंसान नही समझा गया, धर्म पुस्तक में उनको बन्दर कहा गया। शायद ओ० पी० त्यागी जी यहां ह नहीं, मै उनसे यह कहना चाहता हू कि पहले वहां थोड़ा सुधार लाइये। फ्रीडम आफ रेलीजन बिल लाने के पहले इन धर्म पुस्तको में इन्सान को इन्सान कहा जाय ऐसा सुधार लाइये।

दूसरी बात यह है कि यहां की एक और समस्या है भाषा की समस्या। हमारे नेतागण और बडे बडे कहलाने वाले लोग अंग्रेजो की तरह तो 24 घटे का रात दिन होता है लेकिन 24 घटे म 26 घटे बोलते रहते है किन्तु अंग्रेजी भाषा मे बात करते है। जिसको फारेन भाषा कहते हैं, जिसको हम लोग शोषण की भाषा कहते हैं उसमें वह बोलते है। यह शोषण का तरीका अभी तक ये लोग रखे हुए हैं और बड़ी बहादुरी के साथ उसकी चलाये जा रहे हैं। देश की भाषा का अनादर किया जा रहा है। जब अपनी भाषा जो स्वतंत्र विचार प्रकट करने का माध्यम है उसी का अनादर किया जा रहा है तो क्या आप आशा कर सकते हैं कि जो इतने वर्षों से शोषित है उनके लिये न्याय हो सकता है?

हमारे समाज में हिन्दू हो, मुसलमान हों या जो कोई भी हो, यहा की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, मै सबके सम्बन्ध में तो नही बोल सकता हू लेकिन यह बता सकता हू कि मुसलमानो के बीच म भी ऊंच नीच का सवाल है, उनमे भी सभी मुसलमान बराबर नहीं हैं, उन के यहा भी सैयद और खान वगैरह हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस में भी ऐंग्लो इंडियन क्रिश्चियन्स हैं और दूसरे क्रिश्चियस हैं। ये आपस मे छुआछूत तो नही रखते किन्तु दूसरे सामाजिक रीति रिवाज मे इन में भी फर्क है। तो यह एक किस्म से हिन्दुस्तान की कल्चर बन गई है। इसलिये केवल उच्च वर्गों को सब समय दोष देना यह मै नितांत जरूरी नही समझता क्योंकि सामाजिक रूप से हम सभी इस के लिए दायी है।

राजनैतिक दृष्टिकोण से आप विचार करे तो जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, कांग्रेस पार्टी जो राज करती आई है उसने सब समय रेलीजस माइनारिटीज को और शेड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगो को डरा धमका कर अपने पक्ष मे रखने की चेष्टा की है। यही चेष्टा जनता सरकार भी कर रही है कि जहां तक हो सके डरा धमका कर उनको अपने साथ रखे। यही पिछली सरकार भी करती आई और यही जनता सरकार भी कर रही है।

[श्री पीयुष तिरकी]

इनको अपने विचारों से सोचने समझने और अपने विचारो से राजनैतिक दलो में जाने की भी छूट नही है । हमारे मित्र ओ० पी० त्यागी जी के शब्दों में देख, उन्होने अपने फ्रीडम आफ रेलीजन बिल में कहा है कि इनको धर्म चुनने की भी शक्ति नही है कि कौन धर्म मे जाय यह चुन सकें, इसलिए विशेष रक्षा की आवश्यकता है। यह विशेषकर ट्राइबल्स के विषय में कहा गया है। यह तो खुलेआम उनकी बेईजती है। उनको तो आदमी ही नहीं समझा। जैसे जानवरो को, कुत्ते को सिखाया जाता है वैसे ही मिस्टर त्यागी इनका सिखाएगे कि कौन से धर्म में रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। यह तो सामाजिक व्यवस्था है।

मंडल जी से एक दिन मेरी बातचीत हुई थी। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए वह बहुत उत्सुक हैं कि किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जाय। मैं तो कहता हूं कि यदि सरकार अपनी इच्छा रखती है ता मेरा सजेशन यह है कि राइट टु वर्क जो हमारे दल ने डिमांड किया है, उस को फन्डामेंटल राइट में एड किया जाय। यदि आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का हर जगह रिजर्वेशन देने के लिए उत्सुक हैं लेकिन दे नही सके ह तो कम से कम इन लोगो पर राइट टु वर्क को जरूर लागू कीजिए बिना कोई देर किए हुए, जो उनका काम पाने का अधिकार है, उसको पूरा कीजिए। ऐसा कर देने से रिजर्वेशन की समस्या और दूसरी समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी।

हमने बहुत ध्यान से इस बात का सुना है कि हमारे उच्च वर्ग के लोग इनका शोषण कर रहे हैं, इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। लेकिन बगाल मे सभी मत्री बगाली हैं, उच्च पदो पर बगाली हैं तो क्या सभी उच्च बगालियो की उन्नति हो गई ? इसी तरह से बिहार में क्या सभी उच्च बिहारियों की उन्नति हा गई और क्या सभी उच्च वर्ग के लोग महान बन गए ? नही। कारण यह है कि हमारी जो व्यवस्था है वह पूजीवादी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में पूजी के जरिए से चाहे वह शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ हो, सभी का शोषण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में मनुष्य की कोई कीमत नही रह गई है केवल पूंजी की कीमत है। मिनिस्टरों के घरों में हम रोज देखते हैं मोटरों की भीड़ लगी रहती है। समझ में नही आता इतनी दुःखी आत्मायें कहां से आ गई लेकिन वास्तव में होता यह है कि किसको कौन कन्ट्रैक्ट दिया जायेगा, किसके लिए क्या व्यवस्था होगी और किस किस के लिए क्या क्या किया जायेगा, इसी में हमारे मंत्रिगण बधे हुए हैं। उनके लिए भी यह इसलिए जरूरी है कि अगली बार उनको फिर एलेक्शन में आना है, पूजीपतियो को सुविधा देनी है, उनसे पैसा लेना है और उस पैसे से एलेक्शन जीतना है तथा पांच वर्ष तक पुन जनता को ठगना है। उसी की तैयारी हा रहा होती है। तो इस प्रकार की हमारी प्रजातन्त्र की व्यवस्था है। यदि मूल व्यवस्था मे ही काई दोष हो जैसे किसी घड़े में बहुत से छिद्र हा तो उसमे आपके हाथ से भी पानी नही भरेगा, मेरे हाथ से भी पानी नही भरेगा और माननीय मत्री, श्री मण्डल जी के हाथ से भी पानी नही भरेगा—किसी के हाथ से भी पानी नही भरेगा। ऐसी स्थिति मे इस व्यवस्था मे ही आमूल परिवर्तन करना जरूरी है। हिन्दुस्तान के आदमी बहुत सी जातियो, बहुत से धर्म और बहुत सी भाषाओं के बीच आ सकते है—यह एक बहुत बड़ा नमूना है परतु इस पूजीवादी व्यवस्था म बड़े कहलाने वाले लोगो ने सभी नीतियो मे राजनीति अपना ली है। जब इस देश मे मुसलमानो का राज था तब क्या मुसलमानो की दशा सुधरी थी ? नही सुधरी। मुसलमानो ने भी शोषण किया। इसलिए हमारी पूजीवादी व्यवस्था मे ही यह मूल त्रुटि है। जब तक कोई परिवर्तनशील, प्राग्रेसिव गवर्नमेन्ट नही आयेगी और जब तक पूजीवादी व्यवस्था का अन्त नहीं होगा तब तक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की व्यवस्था म सुधार नही होगा। आगे चलकर उच्च वर्ग के लोग भी लिखना शुरू कर देगे कि हमको शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज मे भर्ती करो जिससे हमें भी कुछ मिल सके। सभापति जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊंची जाति के कहलाते हैं, लेकिन गरीब हैं, हमारे पास आकर कहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता बतलाइये जिस से हम भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट पा सकें। शायद मत्री महोदय को मालूम होगा—आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का झूठा सर्टिफिकेट लेकर नौकरियां प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस का मूल कारण क्या है। मूल कारण है—गरीबी। जाति-भेद छुआछूत के सवालो के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं—इस तरह से हमारी अवस्था कभी भी सुधर नही सकती है।

आज हमारे देश मे सभी काम कान्ट्रैक्टर के जरिये होते हैं। आप देश के लिये जितनी योजनायें बनाते हैं—उन को पूरा करने के लिये कांट्रेक्ट दे दिया जाता है। वे कांट्रेक्टर्स मंत्री जी के पास आते हैं—कितने परसेन्ट कौन लेता है, कितना रुपया उस काम में खर्च होता है—सब कागज पत्र बना कर मिनिस्ट्री में भेज दिया जाता है कि इतना काम हो गया। किस पर विश्वास किया जाय ? अगर कोई कान्ट्रैक्टर अच्छा हुआ तो शायद कुछ काम हो जाता है—लेकिन उन कामों से मजदूरों को क्या लाभ होता है ?

उस को मजदूरी वही कान्ट्रैक्टर देता है, जो उस का अच्छी तरह से शोषण करता है ।

देश के कानून को देखिये—आज हमारे कानूनों को कौन समझ सकता है ? हमारे मंत्री जी भी कानून को नहीं समझ सकते हैं—क्योंकि भाषा ऐसी है जिस के कई अर्थ निकल सकते हैं । मंत्री जी को भी यदि जरूरत पड़ेगी तो वकील के पास जायेंगे और हजार रुपया फीस देंगे—तब वह मुकदमा लड़ा जायगा । जज साहब भी वकीलों की बहस सुनने के बाद संविधान के मुताबिक रूलिंग देंगे । जितना उन को इस बारे में अधिकार है—यहां के किसी भी मेम्बर को अधिकार नहीं है । यह बिलकुल सही बात है कि हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई है कि उस में जो लिखा है—उस के क्या मायने हैं—हमारे बहुत से मेम्बर भी उस के बारे में क्लियर नहीं हैं, उन को पता ही नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं और हम को क्या बोलना चाहिये । यहां भी हम को कान्ट्रैक्टर का पैसा देकर काम करना पड़ता है ।

हैल्थ की हालत को भी देखिये—मंत्री जी इस बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते, हर जगह डाक्टरों की मनमानी चलती है । जिन्दा मनुष्य को यदि डाक्टर बोल दे कि मर गया, तो उस को मानना पड़ता है । इस तरह का जो काढ़ फैला हुआ है—इस को पूर्ण रूप से दूर करने की जरूरत है और इस के लिये जिम्मेदार पूंजीवादी व्यवस्था है । हमें इस सड़ी-गली व्यवस्था को, जो धनी-मानियों की व्यवस्था है, जो आम जनता की भलाई के लिये काम में नहीं आ सकती है—उस को जितना जल्दी हो सके उखाड़ कर फेंकना होगा । जनता सरकार के पास यदि हिम्मत है तो इस काढ़ को फैंक कर अमल रूप में प्रजा-तन्त्र का राज कायम करे ।

श्री श्यामलाल धुर्वे (मंडला) सभापति महोदय, दो तीन दिन से हरिजन आदिवासी रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है । आज मैं देख रहा हूं कि देश के अन्दर जितने भी आदिवासी जिले हैं—उन की अवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जितनी अंग्रेजी शासनकाल में भी नहीं थी । 30 साल की आजादी के बाद भी मध्य प्रदेश के मंडला, बस्तर, शहडोल, सरगुजा के आदिवासी जिलों की हालत बहुत ज्यादा गम्भीर है—मैं स्वयं इन जिलों का दौरा कर के आया हूं—शायद इतनी दयनीय स्थिति आजादी के पहले भी नहीं थी । आज वहां 80-85 प्रतिशत आदिवासी भाई गरीबी की रेखा के नीचे हैं । आज उन को गांव छोड़ कर शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है । मैं अपने जिले मंडला के बारे में आप को बतलाता हूं—वहां के 10-15 हजार लोगों को अपनी जान बचाने के लिये, अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिये दूसरे जिलों में भागना पड़ा है—इतनी ज्यादा हालत खराब है । पिछले 10 सालों से अकाल पड़ने के कारण वहां की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है । इसी तरह से शहडोल है, बस्तर है, झबुआ है, ये जितने भी आदिवासी जिले हैं देश के अन्दर मैं अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए बतलाना चाहता हूं कि वहां पर इन लोगों की हालत बहुत ही गम्भीर है । लोगों की ऐसी हालत है कि उन को अपना तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है । कर्ज से जनता लदी हुई है और 100 साल तक भी अगर सरकार उन की मदद करती रहेगी, तो कर्ज से उन का उद्धार नहीं हो सकता है ।

मैं आप के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आदिवासी जिले आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में हैं । यदि आप को उन की स्थिति सुधारनी है, उन को बराबरी में दूसरे लोगों के आगे लाना है, तो कर्ज में जो जनता लदी हुई है, वह कर्ज आप को माफ करना पड़ेगा । तभी उन की हालत में आप सुधार कर सकते हैं । पिछले 30 साल के अन्दर आदिवासी जिलों में रहने वाले लोगों का शोषण कांग्रेस के शासन काल में हुआ है । वहां के जो नेता लोग थे उन्होंने उन की जमीन हड़प ली है और मेरे जिले में कई आदिवासी भूमिहीन हो गये हैं क्योंकि कांग्रेसी लोगों के पास जो उन्होंने अपनी जमीन रहन रखी थी, उस को दूसरे आदिवासी के नाम 'बेचना' दिखा कर उन्होंने हड़प कर ली है । अगर इस बात की जांच करवाई जाए, तो इस तरह के बहुत से केसेज आप को मिल जायेंगे जिनमें वहां के रहने वालों के साथ इस तरह का अन्याय किया गया है । मैं चाहता हूं कि इस की छानबीन की जाए और उन की जमीन उनको वापस करवाई जाए । मैं आप को बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति का मूल धन 1 हजार रुपया था, तो 10, 15 साल तक कर्ज वापस न देने के कारण, उस का ब्याज ही दुगुना हो गया है । इसलिए वह कर्ज से दिन प्रति दिन लदता जा रहा है और आज बैंकों से भी उन को कर्जा नहीं मिल रहा है । उन के लिए बैंकों की व्यवस्था नहीं है, खाद, बीज की व्यवस्था नहीं है और किसी प्रकार से भी जीवन यापन करने की व्यवस्था नहीं है । इस तरह से वहां के लोगों की हालत बहुत ही खराब है । राहत कार्य भी समय पर नहीं चल रहे हैं । मैं अपने जिले की बात आप को बतलाता हूं । हमारे यहां जो आदिवासी भाई हैं उन को गोंड कहते हैं । प्राचीन काल में वहां पर गोंड राजा हमारे यहां राज्य करते थे और महारानी दुर्गावती दलपत राय के जमाने में जनता की जो हालत थी, वह बहुत अच्छी थी । सब चीजें, भरपूर थीं और धन-धान्य से वे परिपूर्ण थे लेकिन आजादी आने के बाद 30 साल के पिछले शासन में जबकि हम आदिवासी हरिजन भाईयों की हालत सुधरनी चाहिए थी, वह सुधरी नहीं और गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है । अब हमारी सरकार आई है, जनता सरकार ने यह नीति बनाई है कि ग्रामों की हालत को सुधारा जाए । ग्रामों के लिए वह नई नीति लागू करने जा रही है, जिस से छोटे छोटे लघु उद्योग धंधों और कुटीर उद्योगों का विकास होगा ।

[श्री श्याम लाल धुर्वे]

इसलिए जो काश्तकारी से फुरसत होंगे उन्हे काम मिलेगा और बाकी दिन वे बेकार न रहेंगे इस तरह उन को वर्ष भर कुछ न कुछ काम मिलता रहेगा । आदिवासी पहाड़ी इलाको मे रहते है और जो बेचारे आदिवासी हैं । निखालिस आदिवासी हैं, वे जंगलो में ही रहते हैं लेकिन उन की हालत क्या है । उन को पांच पाच और छ. छः मील से पानी लाना पड़ता है, गर्मियो के दिनों मे उन को इतनी दूर जाना पड़ता है और रात रात भर वे पानी के लिए तड़पते हैं लेकिन पीने के पानी की अभी तक ठीक व्यवस्था नही हो सकी है । आज 30 सालो की आजादी के बाद भी उन को पीने का पानी नहीं मिलता है । वर्तमान सरकार इस के लिए कुछ करने जा रही है और मेरे जिले में बहुत कुछ काम हुआ है और भारत सरकार भी कुछ हमारे लिए कर रही है । लेकिन उस का प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है । गत शासन मे काम कम होता था लेकिन प्रचार और प्रसार बहुत ज्यादा होता था । 30 साल तक कोई इस की व्यवस्था नहीं हो सकी । इसलिए उन की हालत खराब हुई है । गत शासन काल में बड़ी बड़ी घोषणाए की जाती थी कि गरीबी को हम दूर करेंगे परन्तु गरीबी तो दूर नही हुई बल्कि गरीब मिटा दिये गये हैं । इमर्जेंसी के दिनो मे मेरे जिले मे परिवार नियोजन के नाम पर नसबन्दी की गई जिस से हजारो, लाखों लोग बर्बाद हो गये और सैकड़ो लोग मर गये लेकिन इमर्जेंसी मे किसी को इस का पता नही चल सका । वहा की हालत बहुत खराब है और 10 साल तक लगातार अकाल पड़ने के कारण मेरे जिले की हालत बहुत गम्भीर है । इसलिये मैं शासन से माग करूंगा कि मेरे जिले को लगभग 30, 40 हजार क्वीटल चावल और गहू दिया जाए । इस से वहां की जनता की रक्षा हो सकेगी । हमारे यहां भदेली, कुटकी और मक्का की फसल आने तक लोगो को कुछ काम दिया जाए जिस मे उन लोगो की समस्या हल हो सके । अपने जिले में जो वन ग्राम है उनकी हालत बहुत खराब है । जब तक वहा के आदिवासियो को वहा की जमीन के स्थायी पट्टे नही दिये जायेंगे तब तक उनकी हालत नही सुधरेगी तब तक उनको आजादी का लाभ नही मिलेगा और न उनको उनकी जमीन का लाभ मिल सकेगा । आजकल जो वन रक्षक या वन अधिकारी वहां हैं उन्हें वहां के गांवो मे मालगुजार और राजा-महाराजा माना जाता है । वे बुरी तरह से वहां के लोगो को धमकाते हैं और उनका शोषण करते हैं । हम लोग यहा पर बैठ कर आनन्द के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं लेकिन उन आदिवासी भाइयों से सारा दिन काम लिया जाता है । उन्हें अपने लिए बिलकुल भी समय नही दिया जाता । उन लोगों को मजदूरी भी ढाई रुपये दी जाती है । मुझे बड़ा दुःख होता है कि उन से सारा दिन काम लिया जाता है, उन को खाने का समय भी नहीं दिया जाता है और उनका बुरी तरह से शोषण किया जाता है । एक साल के काम के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है । बरसात के दिनो मे उनके भोजन की व्यवस्था भी ठीक न होने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है । उनकी हालत सुधारने की बहुत जरूरत है ।

आदिवासी जिलो में ज्यादातर लोग गरीब होते हैं । जहां वे रहते हैं वह पहाड़ी इलाका होता है । वहा सिचाई की व्यवस्था नही होती । और वहा एक फसली फसल होती है । अगर किसी साल वर्षा नही हुई तो फसल सूख जाती है । इस प्रकार की हालत मेरे जिले में है । बहुत ही खराब हालत है । अगर आदिवासियो की, हरिजनो की हालत को सुधारना है तो उनकी मजदूरी का रेट बढाया जाना चाहिए ।

पूरे मडला जिले की तहसीलो मे तथा निवास तहसील के राई ग्राम मे हदवानी विकास खंड मे जो ठेका सिस्टम चल रहा है, वहा ठेकेदार लोग शोषण करते है । सुबह 6 बजे से ले कर रात को 8 बजे तक उन से काम लिया जाता है । जहा वे काम करते है वहा से उनका घर पांच-छ मील की दूरी पर होता है, वहा पहुचते पहुचते रात को दस ग्यारह बज जाते हैं । उन्हे मजदूरी भी ढाई रुपये दी जाती है । इस तरह से घर पहुंचने पर उन्हें अपने लिये कोई भी समय नही बचता । अगर मजदूरो और उन गरीबो की सरकार को हालत सुधारनी है तो उनकी मजदूरी 6—7 रुपये की जानी चाहिए तभी उनकी हालत सुधर सकती है और तभी वे अपने बाल-बच्चो के लिए कपड़े-लत्ते और शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते है ।

मेरे जिले मे वन विभाग के दो वन प्राजेक्ट चल रहे है और तीन आदिम जाति कल्याण प्राजेक्ट है । मै कहना चाहता हूं कि वहा तत्काल ठेका सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए । ठेकेदार सरकार की भी चोरी करते है और जो काम करने वाले मजदूर हैं जो कि भूखे रह कर काम करते हैं अपना खून पसीना बहाते है उनकी भी चोरी करते हैं । उन लोगो को ठेकेदार के माध्यम से काम नही दिया जाना चाहिए । इस ठेका सिस्टम को खत्म करके सरकार के द्वारा सीधे उन्हें काम दिया जाना चाहिए ।

वन प्रोजेक्ट नैनपुर मे जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वहां पर भी ठेकेदार लोग आये हुए है । वे भी हरिजन, आदिवासी और अन्य गरीब भाइयो का शोषण करते हैं । उन्हें कम मजदूरी देते हैं और समय पर मजदूरी नही देते हैं । उनसे गर्मी के दिनो में पूरा दिन काम लेते हैं । उनका पूरा शोषण करते हैं और उन्हें खाने का समय भी नही देते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उनको शोषण से बचाने की पूरी व्यवस्था करें ।

जिस प्रकार से प्रदेशों में हरिजन कल्याण मंत्रालय अलग है और आदिम जाति कल्याण

मंत्रालय अलग है उसी तरह से केन्द्र में भी अलग-अलग आदिवासी और हरिजन सचिवालय और मंत्रालय होने चाहिए। जब तक ये अलग-अलग नहीं होंगे तब तक आदिवासियों और हरिजनों का हित नहीं हो सकता है। जब तक केन्द्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होती तब तक हरिजन और आदिवासी भाइयों की हालत अच्छी नहीं हो सकती है। दीगर पिछड़े वर्गों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत सुन्दर संविधान है। इससे देश के सर्वांगीण विकास में मदद मिल सकती है। सभी का विकास हो इस की व्यवस्था शासन की ओर से की जानी चाहिए। आदिवासी जिलों में चाहे कोई ब्राह्मण हो या बनिया हो या कोई दूसरा हो, जो भी रहता है पिछड़ा हुआ और गरीब है। वह अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं सकती है। जा... के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच जो खाई पिछली सरकार ने पैदा कर दी थी उसको आपको पाटना चाहिए। सब को कंधे से कंधा मिला कर और श्रम पूर्वक आगे बढ़ने के लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा हो सके इस में आपका हर प्रकार की मदद देनी चाहिए। तभी हमारा देश सही अर्थों में विकास करने में सफल हो सकेगा और सरकार की सफलता भी तभी आंकी जा सकेगी। मुझे आशा है कि जनता सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी। जैसा मैंने कहा है अगर आप अलग-अलग मंत्रालयों का निर्माण नहीं करते हैं तो यह काम नहीं हो सकता है। हजार वर्ष तक हरिजनों और आदिवासियों का सरकार मदद देती रहेगी तो भी उनकी स्थिति कभी सुधर नहीं सकेगी और वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

मैं अपने प्रदेश में विधायक रहा हूं। तब मैं मेघालय भी गया था। वहां की हालत को मैंने देखा है। वहां पर आदिवासी भाइयों की स्थिति बहुत अच्छी है। मुख्य मंत्री भी उन्हीं का है और मुख्य सचिव भी उन्हीं में से है। वहां पर जो दूसरे भाई रहते हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता है। लेकिन दूसरी जगह यह चीज देखने में नहीं आ रही है। बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। आप जमीन की बात को ही लें। जमीन के झगड़ों को लेकर उनको अपनी जान तक से हाथ धोना कई बार पड़ जाता है। यह जो अव्यवस्था है इसको आपको सुधारना चाहिये। कड़ा कानून जमीन के मामले में आपको बनाना चाहिये। जो कानून बना हुआ है उसको सही रूप में कार्यरूप देकर आपको इन भाइयों की रक्षा करनी चाहिये।

अब मैं उद्योग धंधों के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मेरे जिले में तीस साल से किसी भी स्थान पर एक भी उद्योग नहीं डाला गया है। मांडला जिले में वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में मिलती है। खनिज पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं। सफेद सीमेन्ट पत्थर बहुत मिलता है जिस को आन्ध्र प्रदेश में भेजा जा रहा है। वहां पर बाक्साइट के भी भंडार हैं। डिंडोरी तहसील पूरी जंगलों से भरी हुई है। वहां पर किसी भी खनिज पदार्थ पर आधारित कोई कारखाना नहीं डाला गया है। अगर कारखाने डाल दिये जाते तो वहां के लोगों को काम मिलता और उनको बाहर न जाना पड़ता। पिछले शासन की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि देहात की जनता शहरों की तरफ भागी हुई आ रही है। एक बार जो शहर में आ जाता है वह वापिस गांव में जाने का नाम नहीं लेता है। ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। कई बार तो उनको जान से मार दिया जाता है। कड़ी धूप में उनको मेहनत करनी पड़ती है, बरसात के समय में पानी में भीगते हुए उनको काम करना पड़ता है। इन कारणों से उनको नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और उनकी हालत इतनी खराब हो जाती जाती है कि इलाज ठीक से न हो पाने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। हम ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि छोटे उद्योग धंधों के मामले में हम आदिवासी जिलों को प्राथमिकता देंगे और उनको रोजगार की प्राथमिकता देंगे जिन गांवों की आबादी एक हजार या उससे अधिक है। मैं अपने जिले के बारे में बताता हूं। मेरे मांडला जिले में 2500 गांव हैं इन में से केवल 78 गांव ऐसे हैं जिनकी एक हजार की जन संख्या है और शेष जो 2422 गांव हैं वे एक हजार जन संख्या से कम वाले हैं। अब अगर सरकार एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को ही प्राथमिकता प्रदान करती है तो केवल 78 गांवों को ही लाभ हो सकता है इन लघु और कुटीर उद्योगों के मामले में और उन्हीं में ये लग सकते हैं और शेष जो 2422 गांव हैं वे बिल्कुल कोरे रह जाएंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम दस साल में सब को रोजगार दे देंगे। लेकिन इस तरह से तो मैं समझता हूं कि केवल 78 गांवों के लोगों को ही रोजगार मिल सकेगा और बाकी गांवों के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल सकेगा। मैं चाहता हूं कि जिन गांवों की आबादी दो सौ तीन सौ या पांच सौ भी है उनको भी लघु और कुटीर उद्योग डालने के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। तभी लोगों को काम दिया जा सकेगा। आदिवासी अनादिवासी पिछड़े हुए जितने भी देश में जिले व इलाके हैं उनमें अच्छी व्यवस्था हो तभी वहां के नौजवानों को काम दिया जा सकेगा और उनकी दरिद्रता दूर की जा सकेगी। और भी दीगर उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिये।

आदिवासी जिलों में स्कूल खोले गये हैं। पांच कक्षा वाला स्कूल होता है तो देखा गया है कि उन में केवल मात्र एक शिक्षक की ही नियुक्ति की जाती है। एक शिक्षक किस तरह से वहां के बच्चों को पढ़ा सकता है यह सोचने वाली बात है। फिर कहते हैं कि आदिवासी बालक कमजोर होते हैं। वो क्यों न हों जब पांच कक्षाओं के लिये केवल एक ही अध्यापक है। कहीं यह

[श्री श्याम लाल धुर्वे]

बच्चों को पढ़ा सकता है। जब तक उनको सही शिक्षण नहीं दिया जायेगा तब तक कैसे वे योग्य बन सकते हैं? इसलिए अधिक स्कूल न खोले जायें, बल्कि जो खुले हुए है उन्ही मे कम से कम 5 कक्षाओ के लिए 3 शिक्षक होने चाहिए तभी उनके भविष्य का सही निर्माण हो सकेगा। देहातो में आदिवासी इलाको में, पिछडे जिलो मे अनिवार्य शिक्षा लागू कर के उनमे प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिये।

आज मध्य प्रदेश मे इतने ज्यादा आदिवासी होने के बाद एक भी कलेक्टर हमारे प्रदेश का नही है। 8, 10 कलेक्टरो में बाहर के प्रदेशो के ही लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश के नही है। इसी प्रकार हरिजन अधिकारी 20, 21 होंगे उनमें भी अधिकतर बाहर के ही प्रान्तो के लोग होंगे। इसलिये जब तक शिक्षा पर ध्यान नही देंगे सब का समान विकास ही और एक दूसरे से मिलकर अच्छा व्यवहार नही करेंगे और अलग की भावना खत्म नही होगी तब तक न आदिवासियो का विकास हो सकता है और न हरिजनो का। जो भी गरीब है, किसी भी जाति के हो, उनके भी बालको को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये तभी लगेगा कि सरकार सब के विकास के लिये काम कर रही है।

इसी के साथ साथ आदिवासी जिला मे सब से ज्यादा कृषि के लिए जो जगल है जिनमें झाडियां नही हैं उनमें भी लाखो एकड जमीन है। उसको समतल कर के गरीबो को दी जानी चाहिये। कूए के लिये जो आप पैसा देते हैं उसका मै विरोध करता हू क्योकि दो, ढाई हजार रुपये मे कूआ नही बनता है। सरकार खुद कूआ बना-कर दे और बैल, बीज, खाद की व्यवस्था सरकार अपनी ओर से करे तभी उनकी स्थिति सुधर सकती है। मेरे मडला जिले की डिडोरी तहसील के समनापुर ब्लाक मे लोगो के कूओ में पानी नही था, और उनको कलेक्टर द्वारा धमकी दे कर जबरदस्ती पम्प दिलाये गये और आज उस कर्ज की वसूली के लिये उनकी जमीन नीलाम हो रही है। मेरा निवेदन है कि हमारे जिले में लोगो की जमीन नीलाम न की जाय और उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल न किया जाय और जो कर्ज है वह माफ किया जाय।

गत वर्ष गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मण्डल जी ने देखा है कि हमारे यहां आदिवासियों की क्या हालत है। उनको बडा दुख भी हुआ कि 30 साल तक वहां कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नाले बह रहे हैं क्यों नही लोगो को बिजली दी जाती है। और मान्यवर, आपने भी सुझाव दिया था। मै चाहूंगा कि मंत्री जी खुद जा कर आदिवासी जिलो को देखें क्योंकि उन्हीं के हाथ में यह काम है, इसलिए उन्हें आदिवासी जिलों का दौरा करना चाहिए और व्यवस्था के बारे में सुझाव दे कर उनके विकास के लिए नियम बनाने चाहियें।

मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का समय दिया।

*SHRI A. ASOKARAJ (Perambalur): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my party, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, I wish to place my views on the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which are being debated.

Many hon. Members who preceded me enumerated the lapses on the part of Government in ensuring their social and economic upliftment and the loopholes in the programmes being implemented by the Government in this direction I would at the very outset say that this kind of discussion should become a monotonous ritual It should in fact become a meaningful assessment of their needs for the purpose of formulating fruitful schemes for their wellbeing. I would also go to the extent of saying that this kind of discussion should become the driving force for determined action on the part of Government so that in future there is no need at all for nagging the Government that they have failed to do this and to do that.

It is common knowledge that more than 20 per cent of our population belongs to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They number about 12 crores. It is time for us to test whether these people have been able to absorb all the concessions and facilities being extended to them by the Government. We should also review whether they reach these downtrodden people ultimately. I get this gnawing doubt because of the manner in which the upper class people mount a malevolent attack when an eminently suitable candidate belonging to scheduled caste is appointed to a high post. When a distinguished official from the Sche-

*The original speech was delivered in Tamil.

duled Caste was appointed as the Chairman of Union Public Service Commission, all the newspapers were up in arms against this appointment. They were carrying lead stories about his personal life as his incompatibility for such a senior post. He was attacked in a virulent and violent manner in press and also in public forms like the Lok Sabha. He was ridiculed on the floor of this House. There was a concerted effort to discredit him. I need not dwell upon this sordid story much longer because it has been proved to the hilt that it is baseless. They were all motivated by their inherent dislike for a scheduled caste person getting such a coveted position. How can we expect lesser fries belonging to scheduled caste and scheduled tribe to withstand such an onslaught from all directions?

It is claimed that the Government have been spending several hundreds of crores of rupees for the welfare of SC and ST people It is pertinent to point out that 60 per cent of financial allocation is for education development, 10 per cent for economic upliftment and 30 per cent for providing basic social amenities like drinking water, housing etc. From what we gauge from their present plight, educational advancement has not come to their rescue. Though the Government proclaims from house-tops that there is 18 per cent reservation for Government jobs, yet we find from all the statistics being trotted out by the Government that this reservation is fulfilled only in menial posts like scavengers, Class IV posts etc. It may be a matter of self-satisfaction to say that out of 1000 posts 200 posts have gone to candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes. In reality you will find that these 200 posts would be scavengers, cleaners, chowkidars, peons etc.

It is not that we will be able to raise the standard of living of these people by offering such jobs to them. It is a normal feature in the Government that, when the promotion chances come, the criterion is to what caste the incumbent belongs. It is taken for granted that merit is comcomitant with high caste. The claims of scheduled castes are unceremoniously overlooked in the case of promotion to senior posts. I referred just now how the hell was let loose when a distinguished person from scheduled caste was appointed as the Chairman of U.P.S.C. In these circumstances, I wonder how educational accomplishments are going to help these unfortunate people to prosper in life. This also confirms my doubt that the upper class people are the stumbling block in the way of progress of these people.

The next alternative course of action is to help them by giving technical training to start small industries so that they can become self-reliant. We should create a respectable environment for them in the society. It must be ensured that they are not only helped in building up the infrastructure for such small industries but also they are enabled to get fiscal facilities in the form of loans from nationalised banks. Here also the upper class people are able to appropriate all such loan facilities from the nationalised banks. These small people are left high and dry. Unless the economic disparities are dispensed with, there can be no hope of better life for these people. The economic disparities can be ended only by encouraging them to start small industries of their own, which should be nurtured and nourished by governmental assistance in the form of required inputs, finances etc.

Coming now to the social imbalances prevalent in the country, I would refer to a revealing article that appeared some three years ago in the Illustrated Weakly of India. The high officials of Bhilai Steel Plant located in Madhya Pradesh were not only using the tribal girls as their domestic servants but also as objects of their carnal pleasure. There was a furore on the floor of this House also. But ultimately no action was taken against these marauders of social mores.

[Shri A. Asok Raj]

When Christianity has become a world religion, when Buddhism born in India has taken deep roots in many countries of the world, when Islam is on a march of progress everywhere, it is strange that Hinduism, which is the world's oldest religion, is shrinking day by day. This is mainly due to the fact that casteism is an inalienable part of Hinduism. Can a religion riven with caste and communal factions ever become universal? Can anyone of us deny the existence of casteism in Hinduism? Can anyone of us also forget that Hinduism is the seed-bed of a society based on castes and communities? It is essential that there should be a religious reformation in our country. Then only social imbalances can be ended in our country. It cannot be forgotten that religious injunctions create social inhibitions. Social welfare should become the soul farce of a religion.

I will also refer to the indirect encouragement that our educational institutions give to the prevalent social imbalances. Some years back, there was a Seminar on Tribal Culture in the Delhi University Campus There was an exhibition of photographs of semi-clad tribal girls for the cultural briefing of the participants. Is it not a ridiculous exposure of tribal living? Are we protecting the tribal culture or are we parading the half-naked tribal girls? Such an attitude also acts as hindrance in the social progress of SC and ST people.

Even after 32 years of Independence, you will find in the rural areas that the children of SC and ST people are compelled to earn for their living, while they are to be in educational institutions. Because of the oppressive atmosphere of poverty, the parents belonging to SC and ST are campelled to send their wards for work.

The SC and ST in rural areas are living in hovals comparable to pigsties. They are not permitted to take drinking water from the common wells in the villages. They do not have place even to bury their dead. Even if they have a cremation ground of their own, there is no approach road to ther cremation ground. If I go on narrating how these people are living in squalor and filth, I will be abused of instigating those poor people. But I have to say this so that we help in mental transformation of upper class people, which will go a long way in raising the social status of these downtrodden people. We may pass many statutes. We may plan social welfare schemes for the betterment of these people. Yet, unless there is a radical change in the outlook of upper castes, no tangible result can accrue to these oppressed people. How incongruous it is, even after three decades of freedom, that we should still have a section of our people carrying night-soil on their heads? It may be a livelihood for them. But should we continue with this kind of livelihood for a section of our people? We should ensure that we lift these people from sub-normal conditions of living to human conditions of living.

I am sorry to say that during the two years of Janata rule, no national overseas scholarship has gone to any SC or ST candidate Similarly, the restriction of 2 post-matric scholarship to a Harijan family must be removed forthwith. In Tamil Nadu there is a longstanding demand that dhobis and barbers should be incorporated in the scheduled caste list. This must be done without delay I would also urge upon the Government to reward those who encourage intercaste marriages, which is the best way to break the shackles of casteism A massive house-building programme must be undertaken in rural areas so that their habitations can be made fit for living. They must be enable to have two square meals a day and they must be given minimum require cloth to cover themselves from sun showers and shame. It is not enough that we expect others to respect us. We should ensure ourselves to become fit for the respect of others. This can be possible only when the standard of living of SC and ST people is raised I would demand sta-

tutory abolition of casteism in the country. Before I conclude, I would also demand adequate representation for SC and ST people in Indian Legations and Embassies abroad. In fact, I suggest that there should be a separate Ministry at the Centre to look after the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We should not rest content with a rambling discussion of 12 hours. After this we should not disperse in a self-satisfying manner. The Janata Government should not also confine itself to the criticism of the 30-year rule of Congress Government. Besides looking what has been done during the two years of governance, the Janata Government should also draw up a perspective plan for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes in our country. The educational backwardness the economic disparities and social imbalances are mainly due to the failure to uplift the scheduled castes and scheduled tribes in our country. The hope for country lies in their welfare.

With these few words, thanking you for the opportunity given to me, I conclude my speech.

डा० रामजी सिंह (भागलपूर) : सभापति महोदय, हम लोगों के समक्ष शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लगभग तीन वर्षों की रिपोर्ट 74–75, 75–76 और 76–77 की चर्चा के लिए रखी गई है । इन में जो अनुशंसाएं है अगर केवल उन्हीं अनुशंसाओं का हम कार्यान्वियन कर पाते तो शायद आज माननीय सदस्यों ने जितनी आपत्तियां उठाई हैं वह निर्मूल हो जातीं । वस्तुतः हरिजन समस्या भारतवर्ष और खास कर के हिन्दू जाति का सबसे बड़ा कलंक है । यही कारण है कि पूज्य बापू ने इस को अपना जीवन धर्म मान कर अपने जीवन के समय में सम्पूर्ण साधना इस के लिए अर्पित की थी । यह अलग बात है, आज बहुत दिनों के बाद बापू आउट आफ डेट माने जा सकते हैं लेकिन उन्होंने सन् 1921 में जब हरिजन समस्या पर किसी को बोलने का साहस नहीं होता था तब स्पष्ट रूप से उद्घोष किया था —

"I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism."

जिस समय धर्म-ध्वजी, पाखण्डी हिन्दू धर्म के आचार्य बहुत शोर शराबा कर रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था और इतना ही नहीं उन्होंने तो कुछ अन्धविश्वास की भावना से भी कहा था, जब बिहार में भूकम्प आया तो उन्होंने कहा कि यह भूकम्प कोई ईश्वरीय चीज नहीं है, यह हिन्दू जाति के दुष्कर्मों का फल है —

"Earthquake was no caprice of God nor a result of the blind forces. We do not know all the laws of God nor their working."

17 hrs.

हालांकि इस पर बहुत सारी का आपत्तियां हुई थी कि यह अन्धविश्वास को लेकर कैसे बोलते हैं । वस्तुतः इस हरिजन समस्या को उन्होंने इतनी गहराई से सोचने का प्रयास किया था कि उन के सामने ऐसी बात यह थी । कितनी भावना और हरिजनों के प्रति कितना प्यार था उन के अन्दर ? उन्होंने कहा था कि जब युधिष्ठर बिना कुत्ते के स्वर्ग नहीं जा सकता है तो हिन्दू जाति हरिजनों के सहयोग के बिना स्वराज्य भी प्राप्त नहीं कर सकती ।

Yudhishtra would not enter heaven without his dog. How can then the descendents of that Yudhishtra expect to obtain Swaraj without the Untouchables

उन्होंने इससे और भी गहराई की बात कही थी जिससे सवर्णों के हृदय का संस्पर्श हुआ, हरिजन सेवा के लिए बहुत सारे लोग आगे आए ।

17.01 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

उन्होंने कहा कि आज हम गुलामी की जंजीर तोड़ना चाहते हैं । लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर हम अपने हरिजन भाइयों को गुलाम रखते हैं तो जब तक

[डा0 रामजी सिंह]

हम हरिजन भाइयों को गुलाम रखेंगे तब तक हमें स्वतन्त्र होने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि आज गांधी की भावना सर्वोपरि है और उसे हम अलग नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, यह जनता सरकार की रिपोर्ट नहीं है जो उसका मूल्यांकन हम आपके सामने रखें। यह पिछली सरकार के समय की रिपोर्ट है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, 14.60 परसेंट, शेंड्यूल्ड ट्राइब्ज़ 6.9 परसेंट है। तीन वर्षों की सेण्ट्रल सर्विसेज़ में इनके रिज़र्वेशन की जो रिपोर्ट है इसको आप देखें। क्लास वन में शेड्यूल्ड कास्ट 3.4 परसेंट, और शेड्यूल्ड ट्राइब 0.68 परसेंट हैं। क्लास टू में शेड्यूल्ड कास्ट 5.4 परसेंट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब 0.7 परसेंट हैं। क्लास थ्री में 11.3 परसेंट हैं। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब 2.5 परसेंट हैं। क्लास फोर में 18 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब 3 परसेंट हैं।

मैंने यह आंकड़े आपके सामने यह दिखाने के लिए रखे हैं कि क्लास फोर में तो 18 परसेंट देते हैं, क्लास थ्री में उससे कम 11 परसेंट देते हैं, क्लास टू में उससे भी कम और क्लास वन में बिल्कुल कम देते हैं। डा० अम्बेदकर से गवर्नर जनरल ने पूछा था कि आप लेजिस्लेटिव कौंसिल में हरिजनों के प्रतिनिधित्व की क्यों मांग करते हैं। आज यहां पर बहुत सारे भाइयों ने हरिजनों के लिए एक पृथक मंत्रालय की मांग की है। आज इस बात को कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 1977 में जब मैं यहां पर आया था तो मैंने पहली बार हरिजनों के लिए पृथक मंत्रालय की मांग की थी। तो जैसा मैं अभी पहले कह रहा था, गवर्नर जनरल ने डा० अम्बेदकर से कहा कि छोटी छोटी नौकरियों में हम हरिजनों को जगहें दे देते हैं लेकिन निर्णायक जगहों के लिए आप मांग न करें क्योंकि आप योग्य नहीं हैं। डा0 अम्बेदकर ने उत्तर दिया था कि अगर हम निर्णायक जगहों पर रह सकेंगे तो वास्तव में हम हरिजनों पर होने वाले अन्याय का भी मुकाबला कर सकेंगे। यदि एक भी हरिजन निर्णायक पद पर होगा तो वह हरिजनों के कष्ट को समझेगा और उनको दूर कर सकेगा। इसलिए यह कहना कि यह अयोग्य हैं यह ठीक नहीं है। जो लोग पांच हजार वर्षों से दबे हुए हैं उनको आप देना नहीं चाहते हैं। यह तीन वर्षों की जो रिपोर्ट है वह जनता सरकार की नहीं है। पहले जो कांग्रेस सरकार थी जिसके लोगों के हृदय में आज हरिजनों के लिए करुणा व्याप्त हो रही है उनके समय में रेलवे में क्लास वन में शेड्यूल्ड कास्ट 6 परसेंट और शेड्यूल्ड ट्राइब 0.8 परसेंट थे। पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ में, तीन वर्षों की रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्लास वन में शेड्यूल्ड कास्ट्स—1.2 परसेण्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स—2 परसेण्ट। नेशनलाइज्ड बैंक्स में आफिसर क्लास में शेड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या है—3 परसेण्ट—यानी एक परसेंट भी नहीं है, जब कि उनकी आबादी 16 परसेण्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या है—.6 परसेण्ट। डिफेंस फोर्सेज़ में—इस का डाटा नहीं दिया गया है और सब बातें दी गई हैं।

अब एट्रोसिटीज़ की बात को लीजिए। अभी रामविलास भाई ने बतलाया कि इन के घर को आग लगा दी गई, इन के गांव को जला डाला गया—यह कितने शर्म की बात है। आज जिस एट्रोसिटी की हम चर्चा कर रहे हैं—चाहे जनता सरकार हो या कोई भी सरकार हो— कितने कलंक की बात है। मेरे पास तीन वर्षों की रिपोर्ट है—1972 में हरिजनों पर जो एट्रोसिटीज़ हुई—उन की संख्या—3302 थी। 1973 में 6186, 1974 में—जो इन्दिरा गांधी का स्वर्णकाल था—8860 और एमर्जेन्सी के काल में जब कि रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती थी, 1975 में संख्या थी—7781। 1976 में जब बिल्कुल शान्ति थी, अनुशासन पर्व था—उस समय संख्या थी—5887—यह हमारी उपलब्धि है।

अब, सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है। सचमुच में यदि कोई मार्ग हो सकता है तो वह एक मार्ग है—संघर्ष का मार्ग। जब दुखी हो कर मनुष्य का आक्रोष उमड़ता है— तो शस्त्र की आकांक्षा होती है, संघर्ष के लिए कटिबद्धता और तत्परता व्याकुल होती है। हम ने यह नहीं कहा कि केवल रहम और करुणा के आधार पर दबे रह कर अपना अधिकार प्राप्त किया जा सकता है —यह Freedom is a gift not to be given by one nation to another, it is to be purchased by one's blood.

इसलिए हरिजन और आदिवासी भाई अपने अधिकार और स्वत्व को प्राप्त करेंगे तो वह किसी की मेहरबानी पर नहीं होगा, अपनी शक्ति के आधार पर प्राप्त करना होगा। इसलिए इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं—उसमें भी इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है—ये सारे काम होने चाहिये, लेकिन साथ-साथ अपने पैरों पर खड़े होने की बात भी है। इसलिए यह बात तो ठीक है कि आज सब लोगों को हर जगह जहां पर ऐसी बातें हैं—उन को शक्ति और संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहिय। करुणा के मार्ग की बात मैंने आप के सामने रखी है, यह सुन्दर है लेकिन अपर्याप्त है, परन्तु सशस्त्र शक्ति का मार्ग भले ही आकर्षक हो, लेकिन कितना उपयोगी है—यह समझने की बात है।

अब प्रश्न है—क्या सरकार के माध्यम से हरिजनों की समस्या का अन्त हो जायेगा? यदि ऐसी बात होती तो 30 वर्षों में यह सब हो गया होता। हमारे संविधान में ही, सभापति महोदय, इस बात का वर्णन है—हमारे डायरक्टिव प्रिंसिपल्ज़ में कहा गया है कि हम अनटचेबिलिटी को हटायेंगे, लेकिन आज तक वह कायम है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी एक टाइम-लिमिट की घोषणा की है कि इतने दिनों में हटा देंगे, पता नहीं वह हट सकेगी या कितनी हट सकेगी, लेकिन इसके संबंध में मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं—सबसे पहला सुझाव तो यह है—हरिजन समस्या सचमुच में इस देश का एक सांस्कृतिक कोढ़ है और इस सांस्कृतिक कोढ़

पर केवल एक पहलू से प्रहार करने से काम नहीं चलेगा। सब से पहला तो आर्थिक पहलू है—हिन्दुस्तान में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं—इसलिये इकानामिक बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस हिन्दुस्तान के 5 हजार वर्षों के इतिहास में साथ-साथ चल रहे हैं। इसलिये सबसे पहले आर्थिक प्रश्न पर प्रहार करना होगा। मैं तो, सभापति महोदय, इस संबंध में एक बिल भी लाया था कि सबको राइट-टु-वर्क देना चाहिये। अगर एक बार में नही दे सकते है तो फेजेज में दें, चरणों में दें। पहले फेज में मैंने कहा था—इसको शैड्यल्ड कास्ट्स और शैड्यल्ड ट्राइब्ज से देना चाहिये। राइट-टु-वर्क सबको हम कब देंगे—यह एक अलग बात है। लेकिन अनटू दि लास्ट, जो अन्त्योदय का काम है, वहीं से शुरु होना चाहिये और सैकेन्ड फेज में बैकवर्ड क्लासेज का लोगो को देना चाहिये और थर्ड फेज में और लोगो को दें।

The talk of equality between unequals is unjust.

इसलिये सचमुच में जो नीचा है, उसको ऊंचा करने के लिये राइट टू वर्क फर्स्ट फेज में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का देना होगा। सैकेंडरी मान लीजिये कि नहीं दे सकते तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एम्प्लायड गारंटी स्कीम है, उसी तरह से हर हरिजन को, हर आदिवासी को यह एन्स्योरेन्स दें कि उनको एम्पलायमेंट की गारंटी हो सकती है। अगर ऐसा किया गया, तो भी काम चल सकता है।

इसके बाद एक बात और है और यह रिजर्वेशन के बारे में है। कांस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे दिया गया लेकिन उसमे भी शार्टफाल है। इसमें भी चोरी हुई है और जितना रिजर्वेशन मान्य था, उसमे शार्टफाल है और उसके लिये यह कह दिया कि ये योग्य नहीं, ये काबिल लोग नहीं हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि रिजर्वेशन को स्टेट्यूटरी किया जाए। हम जनता सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जो संविधान संशोधन प्रस्तुत होगा, 46वां संविधान संशोधन आएगा उसमें यह जो हरिजन और शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिशन है, उसको हम संवैधानिक गारंटी देंगे। यह बहुत बड़ी बात है। जनता सरकार इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाई है लेकिन इतनी बात तो है कि आज पहली बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है, वह एक हरिजन भाई है। यह हमारे लिये एक गौरव की बात है, इसलिये सोचने की बात है कि आज हमें आर्थिक गारंटी देनी होगी, तो रिजर्वेशन को स्टेट्यूटरी बनाना होगा, केवल एक्जीक्यूटिव आर्डर से बात नहीं चलेगी।

यह तो आर्थिक पक्ष हुआ लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया था, यह जो अस्पृश्यता का प्रश्न है, केवल आर्थिक प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक प्रश्न है और जैसा गांधी जी ने कहा था कि वह हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कोढ़ है उन्होंने कहा था कि मैं अगर फिर जन्म लूं, मेरा पुनर्जन्म हो मनुष्य कुल में, तो उन्होंने हरिजन भी नहीं कहा था बल्कि यह कहा था कि मैं भंगी के घर में जन्म लूं, मेरा जन्म भंगी के कुल में हो। इसीलिये जब तक सामाजिक रूप से प्रहार नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा और यह हरिजनों की समस्या जो है यह कुत्सित और गर्हित जाति व्यवस्था का कलंक है और जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक हरिजन समस्या को हिन्दू जाति से अलग नहीं किया जा सकता और यह जाति व्यवस्था है क्या? वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई है और वर्ण व्यवस्था के नाम पर यह वर्ण अव्यवस्था हो गई है। इसलिये यह समस्या आई। मैं नहीं जानता कि कानून से कहां तक यह हो सकता है लेकिन यह सोचने की बात है कि क्या जाति प्रथा का अन्त हो सकता है? मैं श्री काका कालेलकर से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जिसकी ओर मैं इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि हिन्दू सोशियोलोजी का कैसे विकास हुआ। शुरू में एक ही गोत्र में विवाह करते थे लेकिन जब एक गोत्र में विवाह होने लगा, तो एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र से झगड़ा करने लगे। तब हिन्दू सोशियोलाजिस्ट दूसरे हिन्दू रिलीजन ने यह निर्देश दिया :

सगोत्र विवाह वर्जितम्

एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। इसका कारण यह था कि एक गोत्र अगर दूसरे गोत्र में विवाह करेगा तो दोनों में प्रेम हो जायगा। यह हिन्दू सोशियोलाजी से होगा या सरकार के कानून से होगा, यह मैं नहीं जानता लेकिन यह सोचने की बात है कि जब तक सजातीय विवाह बन्द करने के लिये कोई विधान नहीं होगा सामाजिक या राजनीतिक, तब तक जाति प्रथा को भगवान भी समाप्त नहीं कर सकेगा और जब तक जाति प्रथा समाप्त नहीं होगी तो अस्पृश्यता को कोई भी गांधी या डा० अम्बेडकर भी समाप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि इसके राजनीतिक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और राजनीतिक पहलू है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि रिजर्वेशन की जो हमारे हरिजन और आदिवासी भाई बात करते हैं, वे निर्णायक पदों में रिजर्वेशन की बात करें। वे प्रधान मंत्री में, मंत्रियो में रिजर्वेशन की मांग करें। जब तक उन्हें निर्णायक पदों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा।

अन्तिम बात मैं यह कहूंगा कि हरिजन समस्या का सवाल शिक्षा से जुड़ा है। दुर्भाग्य है कि इस देश में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से एक शूद्र शम्बूक का वध कराया गया। सभापति महोदय उस व्यक्ति का एक ही अपराध था कि वह शूद्र था और वेद पढ़ रहा था। आज से पांच हजार वर्ष पूर्व यह रूप था शिक्षा का। कितनी शिक्षा विकृत हो गई थी।

तेजस्विनावधीतमस्तु।

शिक्षा तो तेजस्वी होती है। लेकिन आज उस शिक्षा को क्या हो गया है? इसलिए मैं भारत

[डा० रामजी सिंह]

सरकार और राज्य सरकारों से यही कहूंगा कि हरिजनों को जहां फ्री एजुकेशन आप दे रहे हैं वहीं एजूकेशन के साथ उनके खाद्य की भी व्यवस्था कीजिए । एक सुअर या भैंस चराने वाला तभी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा जबकि उसे खाद्य भी उपलब्ध हो । आप किसी को छात्रवृत्ति दे कर पढ़ाने नहीं बिठा सकते हैं । जीने के लिए उसे दाने भी चाहिएं और जब तक गरीब को खाना भी साथ नहीं मिलेगा तब तक वह शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं होगा ।

इसलिए इस समस्या पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक चारों पहलुओं से प्रहार करने की आवश्यकता है । जब तक यह नहीं होगा जब तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं होगा, जब तक सांस्कृतिक क्रांति नहीं होगी तब तक हरिजन समस्या का समाधान भी असम्भव है । मुझे विश्वास है कि हमारे गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मण्डल जी जो कि पहले से ही प्रतिबद्ध हैं, वे सचमुच में इस दिशा में भी कुछ करेंगे जिससे कि इन लोगों को न्याय मिले ।

श्री मंगल देव (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इतने दिनों के अनुरोध के बाद इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए सरकार ने इजाजत दी । मैं नहीं समझता कि माननीय मण्डल जी के होते हुए भी तीन तीन वर्षों तक ये रिपोर्टें पड़ी रहें और इन पर बहस करने के लिए जब माननीय सदस्य सरकार पर दबाव डालें तब उन पर हाउस में चर्चा हो । अगर इन पर पहले ही चर्चा हो जाती तो कोई नुकसान नहीं होने वाला था ।

दो-तीन दिन तक बहस सुनने के बाद सरकार को इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं बची है जिस पर रिपोर्ट में चर्चा न की गयी हो और उस रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यहां पर चर्चा न की गयी हो । इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर यहां पर केवल चर्चा कर लेने मात्र से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती । यह मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत काम किये हैं और पिछली सरकार ने भी । लेकिन सवाल यह उठता है कि गांवों से ले कर दिल्ली तक हरिजनों की समस्याओं को हल करने के लिए जो एजेन्सी है, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक साथ कैसे हल किया जा सकता है ? मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार कुछ बजट दे देती है, कुछ कानून बना कर अधिकार भी दे देती है । लेकिन अगर इरादा कमजोर हो, इरादे में गड़बड़ हो तो काम नहीं चल सकता । डा० रामजी सिंह ने कहा कि इस देश के लोगों का विशेषकर हिन्दू समाज का दिमाग पुराने संस्कारों से ग्रस्त है । जब तक हम इस समस्या पर ठीक से नहीं सोचेंगे तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है । चाहे इस सदन के माननीय सदस्य हों, चाहे मंत्री हों, चाहे लाखों लाख आदमी हों, उन सब का दिमाग इस बारे में साफ नहीं हुआ है । मैं नहीं समझता कि जब तक हिन्दू समाज में या हिन्दू धर्म में सोचने के ढंग में परिवर्तन नहीं आता तब तक इस देश में छुआछूत बन्द होने वाली है । हमारे देश में भाग्य के आधार पर, पुनर्जन्म के आधार पर सारी संस्कृति बिछी हुई है और उसी में सभी लोग सांस ले रहे हैं । धर्माचारियों के बारे में यहां चर्चा हुई है, जगत गुरू के बारे में, जय गुरुदेव के बारे में—चर्चा हुई है और न केवल यहां के गुरुओं बल्कि बाहर के पोंगा पंथियों के बारे में भी चर्चा होती है और यहां तक कि सरकार के केबिनेट के जो मंत्री हैं, या वरिष्ठ लोग हैं उनको ही आप देखें, वे इन संस्कारों से किस तरह से बंधे हुए हैं, यज्ञों आदि में किस तरह सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं और जब ऐसी बात है तो भाग्यवाद, जातिवाद, छूआछूतवाद से कैसे छुटकारा मिल सकता है ।

दो दिनों से इस पर चर्चा हो रही है । कोई विषय ऐसा नहीं बचा है जो इस चर्चा के दौरान उठाया न गया हो । हम लोगों में भयंकर बेरोजगारी है उसी बेरोजगारी की वजह से हम गरीब हैं और हमारी गरीबी है उसी गरीबी की वजह से हमारा शोषण भी होता है । बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाए तो इन सब कष्टों से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है ।

सरकारी नौकरियों की बार बार चर्चा होती है । ऐसा लगता है जैसे यह मांगी हुई चीज हो । या तो डर के मारे या कानूनी तौर पर कुछ नौकरियां दे दी जाती हैं । अगर बहस करके कोई लेना चाहे तो नहीं मिल सकती है । अधिकांश अफसर आपके द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन नहीं करते हैं । बड़े अफसरों को आप सजा देने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं । क्या यह सबूत नहीं है कि जातिवाद का बोलबाला है या भाई भतीजावाद चलता है या पार्टीबाजी चलती है । सब उसमें ग्रस्त हैं । मुजफ्फरनगर जिले के कलैक्टर की चर्चा किसी ने की थी । माननीय राजनारायण जी जब मंत्री थे तब उनके स्टाफ का कोई पी० ए० या अफसर जान बूझ कर वहां भेजा गया था । दो दो शैड्यूल्ड कास्ट के कलैक्टर पंद्रह पंद्रह या बीस बीस दिन में ट्रांस्फर कर दिये जाते थे । मुजफ्फरनगर में जो काण्ड हुआ निश्चित रूप में जिला अधिकारी चितरांगद सिंह उसके लिए जिम्मेदार थे । यह बताना भी जरूरी है कि राज नारायण जी का उनको बचाने में हाथ था । आगरा काण्ड के बारे में या मराठवाड़ा कांड के बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं । इस तरह जिन गरीबों का उत्पीड़न होता है उनसे इनको बचाने के लिए सरकार का इरादा हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ता । हाउस में बहस होती है । कानून बनते हैं लेकिन अगर

कम होता है । मा० मंडल साहब केबिनेट तक पहुंचा सकते हैं हमारी बातो को । कैबिनेट की संयुक्त जिम्मेवारी होती है । जिस विभाग की चर्चा हो रही है उस विभाग के ही अभी यहां मंत्री नही थे । यह सरकारी जो रिपोर्ट है यह हर मंत्री और हर विभाग से सम्बन्धित है । जब तक गवर्नमेंट जिम्मेदारी नही लेगी, कुछ नहीं होगा । सब को ज्वायंट रिसपांसिबिलिटी लेनी होगी । आर्य साहब अभी यहां थे । उन से मैं निवेदन करना चाहता था कि कुटीर उद्योग, अन्त्योदय आदि के मामलो मे वित्त निगमो के जरिये आप गरीब लोगो की सेवा करना चाहते हैं । हिन्दुस्तान में बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । लेकिन कोई बैंक क्या आपकी सलामी लेता है, क्या आपका हुक्म मानता है? गरीब जाता है अन्त्योदय का पैसा उसको तब तक नही मिलता है जब तक वह घूस नही दे देता है। भ्रष्टाचार और बेईमानी वहां पर फैली हुई है । आपका अंकुश नही है । प्रधान मंत्री को दो महीने पहले मैंने पत्र लिखा था और वित्त मंत्री को भी लिखा था कि इस तरह की चीजो को रोका जाए क्योंकि इस तरह की चीजो को रोके बिना आप की सुन्दर योजना नीयत साफ होने के बावजूद भी गांवो में नही फैल रही है और चकनाचूर हो रही है । इस ओर आप ध्यान दें ।

जहां तक पदोन्नतियो का सम्बन्ध है कानून होते हुए भी उन्हें नहीं दी जाती है । दो चार केस हम आप को देंगे, सबूत हम आपको देंगे, बेईमान लोगो को हम पकड़वा देंगे लेकिन सजा देना तो आप का ही काम होगा और मैं आप को धन्यवाद दूंगा अगर आप ने सजा दी ।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि भूमि सधारों को आप ने नवी अनुसूची में शामिल कर लिया है। इसी तरह से प्रोमोशन मे रिजर्वेशन है, उसे भी नवी सूची में लें और इसके खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिये । जो कायदे कानून है उनके मुताबिक प्रोमोशन में रिजर्वेशन मिलता है । यह केन्द्रीय सरकार की बडी उदारता है कि यह मिला हुआ है । लेकिन वहां बैठा हुआ जो अफसर है वह खिलाफ अपील करवा देता है। पोस्टिंग आर्डर देने के पहले ही उसकी नकल दे कर अदालतो में अपील करा देता है । पोस्ट मास्टर जनरल यू पी के बारे में आपके पास शिकायतें आई हुई हैं । इस तरह की चीज के खिलाफ रिट दाखिल करने की इजाजत नही होनी चाहिये । कानूनी दृष्टि से आप इस पर विचार कर लें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गरीब को जब कोई जगह मिलती है तो उसके खिलाफ रिट में जो कोर्ट वगैरह में चला जाता है इसको आप को देखना चाहिये । लैंडलार्ड वहां तमाम रिट में जा चुके हैं । सीलिंग के खिलाफ जा चुके है । 1 लाख 14 हजार कैसिस ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट मे सुप्रीम कोर्ट में पेन्डिंग है भूमि सम्बन्धी और उस जमीन के सम्बन्ध में जो 1962 में सरप्लस हो कर सीलिंग से निकल जानी चाहिये थी । आपको देखना होगा अदालतों के बारे में कि हमारी अपील कहां तक जाती है । सीलिंग टोटल फेल्योर साबित हुई है । आप राज्य सरकारो को हुक्म कर देते हैं, मा० बरनाला साहब हुक्म कर देते हैं लेकिन कौन मानता है । मेरा निजी अनुभव है कि राज्यो के चीफ मिनिस्टर नहीं मानते हैं, वहां के हाई कोर्ट्स के जज नहीं मानते हैं । और दोनो जमीन में गड़बड़ करते है । जो सरकारी जमीन भूमिहीन लोगो को मिलनी चाहिये थी, 14, 15 साल मे उसकी नवैयत बदल बड़े बड़े लोगो ने हड़प लिया है । इसलिए भूमि सम्बन्धी कानून आपको फिर से बनाना चाहिए । कुटीर उद्योग की बात कर के जमीन के मसले से ध्यान नहीं हटाया जा सकता है । जमीन पसीना बहाने वाले की है । उसके पास जमीन आनी होगी, इस पर आपको विचार करना होगा । धार्मिक स्वतंत्रता बिल जब आयेगा तो उस पर चर्चा होगी । लेकिन हमारे ऊपर जो उत्पीड़न है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है ? सारे देश में चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे मजदूरी के नाम पर हो, कुर्सी पर बैठना हो, गरीब आदमी अपनी चारपाई पर नही बैठ सकता, किराये की घोड़ी पर नहीं जा सकता बारात में क्योंकि पिछले संस्कारो से ग्रसित होने के कारण उच्च वर्ग के लोग इन बातो को बर्दाश्त नही करते है ।

आगरा कांड हो, या मुजफ्फरनगर कांड हो, दूसरे प्रान्तो में भी मै ने वही हाल देखा है । अभी मुझे सुन्दरवन मारीच आदि जाने का मौका मिला था, वहा आज भी 15 हजार के करीब शरणार्थी है और उनमें 99 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग ही है । उनके उत्पीडन की चर्चा यहां हुई होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया उसको न कह कर मैं इरादे के बारे में कहना चाहूंगा । देश में कोई भी सरकार को वह हिन्दू जाति और धर्म से ग्रसित है और समस्या को समझने का इरादा नही है । आप चाहें सी० पी० आई० या सी० पी० एम० की सरकार कहें वह भी गरीबों के खिलाफ है । इनके इरादे पीढ़ियो से खिलाफ बने हुए हैं, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होती है । कानून का किस खूबसूरती से उल्लंघन किया जाता है इसकी मिसाल में सीलिंग ऐक्ट हमारे सामने है । इरादा नहीं है ।

हमारे मित्रों ने कल और आज इस पर चर्चा की । मैं माननीय मण्डल से कहूंगा कि वह इन विचारों को कैबिनेट तक पहुंचा दें । कोई चीज धीरे धीरे चलती है और बाद में तेज हो जाती है । मै कहना चाहता हूं कि रोज छात्रवृत्ति पर हम झगड़ा करने वाले नहीं हैं, गरीबी पर झगड़ा करने वाले नही हैं, डा० साहब अम्बेदकर के नाम पर झगड़ा करने वाले नहीं हैं, आगरा मुजफ्फर-नगर, और बेलची कांड पर झगड़ा करने वाले नहीं हैं । हमारा झगड़ा अगर होगा तो लंबा होगा और अन्तिम होगा । अगर देश की सरकार और

[श्री मंगल देव]

जनाब जल्दी नही समझता और हमारी भाषा नहीं समझ सके तो जिस भाषा में आप समझते होंगे उसी भाषा में एक दिन गरीब बोलेगा और वह कहेगा कि हमें रद्दी से रद्दी जमीन दे दो, उत्तर प्रदेश और बिहार के सूबे हमें दे दो, हम अपनी स्थिति स्वयं सुधार लेंगे। देश में हमारा हिस्सा बांटों। ऐसा युद्ध अगर छिड़ेगा तो आपको महंगा पड़ेगा। हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारे साथ वही मजाक। लेकिन वह ज्यादा दिन तक चलने वाला नही है। मैंने इशारा किया कि अगर केवल रिपोर्ट पर चर्चा हो गई, कागज मे कानून बन गया, मंत्री जी का वक्तव्य हो गया, उससे हमें सन्तोष होने वाला नहीं है। गांवो में, मोहल्लो मे, स्कूल में क्या हो रहा है यह हमें देखना होगा। मै माननीय मण्डल साहब की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि थोड़ी सी चर्चा करने के लिए, रोने के लिये, पिछली बातें दोहराने के लिए एक चर्चा हो गई। और अलग मंत्रालय की बात पिछले दो सालो से चल रही है। लड़को के स्कालरशिप के बारे में चर्चा चल रही है कोई नई बात आज हमें कही गई हो तो मुझे याद नही है। सरकार और अफसरों की भी आदत पड़ गई है, एक भी कलेक्टर, एस० पी० को सजा नही दी गई। जब कि प्रधान मंत्री ने सारे प्रान्तो को लिखा था। लेकिन कलेक्टर और एस० पी० को बचाने के लिये सदा कोशिश की जाती है। मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया नाम ले कर उसकी जांच होनी चाहिये। कि हमारे लोग खराब से खराब बेईमान अफसरो को संरक्षण देते हैं और तमाम गुंडों को सरक्षण देते हैं। गांव में जो तबाही है, उनकी उसमे साजिश रहती है और वहां चिकनी-चिकनी बातें होती हैं।

सभापति महोदय, में आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और माननीय मंडल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूगा कि आप सरकार में वरिष्ठ और समझदार आदमी हैं, अपने कैबिनेट के साथियों को समझायें कि हमारे लोगो को केवल संतोष ही न हो, बल्कि सही-सही काम हो।

*SHRI KRISHNA CHANDER HALDER (Durgapur): Mr. Chairman Sir, we are discussing the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1974-75 1975-76 and 1976-77. While participating in the discussion I want to place a few things before you briefly. Many hon. Members have mentioned about the atrocities committed on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people in various parts of the country. They have spoken in this Lok Sabha about their heart-felt injustices meted out to these people whether, social, or political or economic. Naturally the present state of affairs should not be allowed to continue. In the reports pertaining to the years 1975-76 and 1976-77, 96 recommendations have been made. Within the time at my disposal, it is not possible to go into all of these in detail. But some hon. Members while discussing them have narrated the problems faced by them collectively. I feel that we should not approach this issue as merely a Scheduled Castes and Scheduled Tribes problem, because these people constitute a big section of our total population. Whereas 70 per cent of our population live below the poverty line, a majority of them belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SCST) About 95 per cent of them belong to this category. This problem has to be studied today from three angles, economic, social and political. It has to be studied from an overall national point of view so that the problem may be solved once for all.

Sir I have figures about tha representation of SCST people in various Government Departments and Public undertakings. These have already been mentioned and I do not want to repeat them. The service quota has no where been properly fulfilled except in the Class IV category. The question is why is it so? I do not want to go into the origin of the caste system in our country. For the last several centuries there was feudal land system in our country. There was feudal society and feudal economy and the social and political conditions from which the British imperialism derived their policy of administration and exploitation. They devised the policy of divide and rule not only among the majority and minority communities but the scheduled castes and scheduled tribes were also a prey of this policy. Through this

*The original speech was delivered in Bengali.

policy they exploited our country to the utmost.

Our national Government did not approach this problem from a national outlook during the last 30 years. The outlook with which the Janata Government has also approached this problem during the last two years has not enabled them to reach to the roots of the problem. Rather we are sorry to see that through the incidents that took place at Delchi and other places, the problem is assuming more acute form. As one hon Member said, an economic solution should be found to this problem. This can be possible through radical land reforms. If land is distributed to the actual tillers, then these 95 SC/ST people who live below the poverty line will get land and will be able to earn their livelihood and lead a better life Some one said here that this has assumed the form of a slogan and nothing can be achieved through it. I am sorry to say that he wants to support the feudal system of society. The social injustices meted out to these people have to be identified and removed. Although we speak about nationalism, nationalism has not yet properly bloomed in our country. Do we all think today in the capacity of 'Indians'? If we could do that, then the SC/ST people would not have been deprived of their rights as human beings. We see that in Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Rajasthan our SC/ST brethren treated as *sub-humans* may like beasts. All human rights are denied to them. We must look to these people from the human angle. They should all be treated as Indians. These people have a right to appeal and demand their rights from the majority communities. At the same time I will say that we have many problems economic, social, political and minority communities like Muslims, Christians etc. approach these problems from narrow communal angles then no solution can be found to them. Similarly if the leadership of the SC/ST people try to approach the problem from narrow partisan angle, then the conflict will become more severe and elude any solution. Mr. Kamble said that when we fight this problem we shall have to forget our parties and organisations. We should only consider ourselves as Members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I think that this will also not solve the problems, rather this line of thinking will make the conflict more acute. Some people advocate that the solution of the casteism and untouchability problems is to be found in a caste struggle. I am not one with them. Today a large majority of the SC/ST people are either agricultural labour, or sharecroppers or they work in mills and factories in the cities or they work as sweepers and scavengers and carry night soil on their heads to keep the city clean. So we see that they are all hard working people. The majority communities are exploiting them. They do not want a permanent solution of the SC|ST problem, They do not want that every member of the minority community people should find employment. Some hon. Members have spoken earlier about 'right to work'. Yes, if 'right to work' is enshrined as fundamental right in the Constitution then many problems will find a solution. The just demands of the SC/ST brethern for reservations in services can be considerably reduced thereby. The demands from communal angles can be reduced considerably. The vested interests want to perpetuate the feudal system with a view to get cheap labour in the fields. The capitalists want to bring about a division in our ranks with a view to get cheap labour in the factories. To put an end to this class exploitation, we should organise a united front against these exploitors and vested interests. We should invite all farmers, workers, muslims, Christians and all other exploited people among the higher castes and present an extensive united front to the vested interests who have exploited, tortured and oppressed the

[Shri K. C. Halder]

poor masses and who want to maintain their massive structure of class exploitation. A massive and united class struggle is the only solution to demolish this social, economic and political structure of class exploitation. Unless this entire structure of exploitation is demolished, these problems will elude solution. The Government should honour the sentiments of the SC|ST people and concede their demand for a separate Ministry to look after their interests. In my State of West Bengal a separate Ministry has been set up for the upliftment of the SC|ST people. For their betterment, they have to be given land. I am proud to say that our Government is going to fix a minimum wage for agricultural labour. Our Government has made provision for allotment of home site for all those who have no home-site. My Government has passed legislation for 'record of right' in respect of all sharecroppers. Through these measures the West Bengal Government have kept up their effort for the amelioration of the conditions of the exploited and oppressed people.

Sir, comrade Mangal Deo spoke about Marich-jhonpi, I do not wish to go into that just now. That is a refugee rehabilitation problem. It concerns the displaced persons from Bangladesh who sacrified their everything for the freedom of our country. Those who sing the victory song of their lives at the foot of the gallows. To bring them succour, to rehabiliate them, was a part of our national duty and obligation. If they were properly cared for either by the Congress Government or the present Janata Government at Dandakaranya, then they had no reason for deserting Dandakaranya. The Centre does not seem to consider sympathetically the demands of the West Bengal Government for proper rehabilitation of these refugees which in fact is a national problem. I will request all the SC|ST people and their leadership to give up narrow outlook.

I support the statement of Babu Jagjivan Ram at Hyderabad, that 30 years have passed and it has not brought any improvement in the conditions of the SCST people. Perhaps another 30 years will be needed to bring them upto the level of other higher classes. Therefore I want the continuation of the reservations and other constitutional safeguards for the SCST people. I will again appeal to the SCST people and their leaders to give up narrow outlook and to take up a united struggle to demolish the social and political strucure based on exploitation of man by man. Let us try to forge a new relationship in the whole country as between one Indian and another between one human being and another, which is not based on caste, creed or religion; not as Muslims or Christians or Scheduled Castes or other castes but only as Indians. If we can do that, then that will be the only permanent solution to all these age old problems.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): Sir, I rise on a point of order. There will be a Calling Attention at 6 o'clock and only 14 minutes are left. But even now we have not been furnished with the statement. We have to formulate questions also, but no statement has been furnished so far and it is already 5.46 p.m

MR. CHAIRMAN: I shall come to that point at 6 O'clock.

MR. FALEIRO.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Sir, my name is there, but you may kindly excuse me and allow me not to participate because I have to attend to some other important work.

MR. CHAIRMAN: All right.

श्री राम नरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी,

कौम के डर से बिखर जाते हैं इन्सान की बात
रंग कौसर की बहुत हैं मगर आदम के साथ ।

हम लोग यहां पर बहुत हल्ला कर रहे हैं हरिजनों के लिए उनके लिए बहुत आंसू बहा रहे हैं और आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे लेकिन वास्तविकता यह है कि हरिजनों के पास कोई चीज नहीं पहुंचती है। हरिजन समस्या का जो मूल कारण है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब तक आप उन सामाजिक, आर्थिक कारणों को दूर नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं उस कार्य में नहीं लगेंगे तब तक केवल कानून बना देने से और आदेश जारी कर देने से कोई काम बनने वाला नही है। हरिजनो पर पांच हजार साल पहले से अत्याचार हो रहे हैं लेकिन एक बात से मैं इस रिपोर्ट से सहमत हू, मैंने रिपोर्ट पढ़ने से पहले ही कहा था कि हरिजन और सवर्ण का झगड़ा सौ वर्ष पहले आपको कही नही मिलेगा, उस का कारण यह था कि हरिजन चाहे जितना मार खायें उन में हिम्मत नहीं थी कि बोल सकें। लेकिन जब से उस को थोड़ी-थोड़ी राहत मिलने लगी है, वह अपने अधिकारों को कुछ समझने लगा है, अब उस के ऊपर अत्याचार होता है तो वह उस के खिलाफ बगावत करता है। उस को बगावत करनी भी चाहिए। हमारा और आप का भी कर्तव्य है कि उस से बगावत करवाये। जो लोग सदियो से इन लोगो को दबाते, मारते और लूटते रहे हैं वे आज भी चाहते है कि वे दब कर रहें, उन की मर्जी के मुताबिक ही चलें। ऐसी परिस्थिति में झगड़ा तो होगा ही। आप को चाहे जितनी चिन्ता हो कि इस तरह के जो झगड़े हो रहे हैं वह बुरे हैं लेकिन इस तरह के झगड़े हमारे लिए अच्छे है।

रफीको से रकीब अच्छे, जो जलकर नाम लेते हैं,
गुलो से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते है।

यदि आप संरक्षण नहीं दे सके, यदि आप उनके दुःखों को दूर नही कर सके तो वे खुद हथियार उठाकर उस की कोशिश करते हैं जिस में कुछ कुर्बानि भी हो जाते हैं। बिना कुर्बानी के कोई चीज मिलती भी नही है। इसलिए मैं चाहता हू कि गाव गांव में अगर हरिजन दबाए जाते हैं तो व बगावत करें और गृह मंत्री जी उन की मदद करें। लेकिन आप मजबूर है, आप मदद नही कर सकते हैं क्योंकि आप के कानून और आप की अफसर-शाही इस प्रकार की नहीं है। आप कहें तो मै आप के अफसरों की स्तुति किया करूं क्योंकि उन की निन्दा करके, उन का विरोध कर के हम देख चुके हैं। आज कोई भला आदमी चाहे निर्भय हो या न हो, आप के जातिवादी अफसर पूरे निर्भय हैं। अगर आप ने नौकर-शाही को इसी तरह से बढ़ावा दिया तो निश्चित रूप से हमारा और आप का नाश होने वाला है। आप देखिये—आप की नाक के नीचे—सर गंगा राम अस्पताल है। वहां 1976 में एमर्जेन्सी के दौरान हरिजनों और सवर्ण लोगों को अलग करने के लिये एक दीवार बनाई गई—छूत की दीवार। आज दो वर्षों से आप गद्दी में बैठे हुए हैं—आप ने क्या किया ? मैं आप से पूछना चाहता हूं—संविधान के अनुसार यह अस्पृश्यता जुर्म है या नहीं है ? अस्पृश्यता निवारण कानून के अनुसार यह जुर्म है या नहीं है ? दिल्ली का प्रशासन तो आप के कार्यक्षेत्र में आता है, आप की सरकार के मातहत है—बतलाइये आप ने क्या किया ? आप सीधे-सीधे उस का पृष्ठ-पोषण कर रहे हैं अन्यथा आप को चाहिये था कि उस को गिरवा देते। श्रीमन्, अगर आप नहीं करेंगे तो हम संसद् सदस्यों को मजबूर हो कर—हम जो हरिजन समस्याओ से जूझने वाले लोग हैं, हम को खुद जा कर उस को गिराना होगा और आप को हम लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा—यह बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिये।

मैं एक बात आप से और कहना चाहता हूं—अभी विशारद जी ने भी उस की तरफ इशारा किया था—वह है—धार्मिक स्वतन्त्रता बिल। हम हिन्दू क्यों हैं—केवल इसलिये कि हम राम राम करते हैं, लेकिन अपनी बनाई हुई चारपाई पर हम बैठ नही सकते, इतनी दुर्दशा हमारी हो चुकी है। जिस दिन हम खुदा के बन्दे बन जायेंगे या ईसा मसीह के बन्दे बन जायेंगे—उस दिन हम को बराबरी का सब हक मिल जायगा। तब तो फिर हमारा भला इसी में है कि हम हिन्दू धर्म को छोड़ कर चले जायें और शायद आप भी यही चाहते हैं क्योंकि हिन्दू धर्म में रह कर आप हमारी रक्षा नही कर सकते है। मै आप से पूछना चाहता हू—जिस खजाने में कहीं से एक पैसा आने वाला न हो और रोज उस मे से खर्चा होता चला जाय—तो क्या वह खजाना बना रह सकता है, कभी न कभी तो वह खत्म हो ही जायगा। यही हालत आज हिन्दू धर्म की है। अगर आप किसी को हिन्दू बना भी देंगे तो किस जाति मे उस को रखेंगे ? है कोई माई का लाल —जो बतला दें— कि उस को किस जाति में रखना होगा, उस के लिये तो आप को अलग से जाति बनानी पड़ेगी। अगर आप का लड़का किसी ईसाई लड़की से या मुसलमान लड़की से शादी कर ले तो उस को मुसलमान या ईसाई बनना पड़ेगा और यदि कोई लड़की शादी कर ले तो भी वह हिन्दू धर्म में नहीं रह सकती—आप का लड़का भी जायेगा और लड़की भी जायेगी। जब तक ये धर्म के ठेकेदार पंडित डंडा लेकर मन्दिरो में बैठे रहेंगे—आप का यह हिन्दू धर्म हिन्दुस्तान में बच नही सकता। इस सब के लिये कौन जिम्मेदार है ?

आप देखिये—19वीं सदी में बंगाल में हिन्दूओं का बहुमत था—तब कैसे वहां मुसलमानो का बहुमत हो गया। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सारे देश में एक दिन दूसरे धर्मों क बहुमत तो आयेगा। हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व का नारा लगाने वालों के मन में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये यदि तनिक भी ईमानदारी है तो उन को हिन्दू धर्म में जाति और वर्ण के नाम पर जो अत्याचार हो रहे है—उस को बन्द करना होगा, तब हिन्दू धर्म बचेगा, वरना यह धर्म इस देश में रहने वाला नहीं है।

अब मैं कर्ज की बात कहता हूं—बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इक कतरे खूं निकला। बड़ा शोर मच रहा है— अन्त्योदय का। उन को जीविका के साधन देने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई जा रही हैं, उन को कर्जा देंगे—लेकिन उन की जमानत कौन देगा ? मैं अपने क्षेत्र में गया था—सुना था कि अन्त्योदय का रुपया बट रहा है, लेकिन किस को मिल रहा है—उन की जमानत देने वाला कोई नहीं है। इस लिए बी० डी० ओ० ऐसे लोगों को खोज खोज कर भेजता है जो किसी का हलवाहा हो, उस की जमानत दे देते हैं—और नहीं तो फिर उन को नहीं मिलता है और वे लोग आधा आधा बांट लेते हैं। तो मैं आप से पूछना

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

चाहता हूं कि आप बंधुआ मजदूरी कैसे रोकेंगे, जरा इस को हम को समझा दीजिये। उन को किसी तरह का आप काम नहीं दे सकते, कर्ज एक नया पैसा नहीं दे सकते, उन को श्राद्ध करना है और बेटा-बेटी की शादी करनी ही है, तो फिर वे कर्ज लेंगे ही और शरीर को बन्धक रखेंगे। वह कहेंगे कि बाबू, हम अपना शरीर बन्धक रखते हैं, आप का काम करेंगे और उस से जो कर्जा आप देंगे, वह भर देंगे। आप जरा मुझे समझा दीजिए कि इस बंधुआ मजदूरी का उपाय आप ने क्या किया है? कौन सा नियम आप ने बनाया है और नहीं तो कहेंगे कि बंधुआ मजदूर आप बनाइए, गांवों के अत्याचार को आप छोड़ दीजिये। केवल आप उन के शरीर की जमानत लीजिए और काम करवा कर पैसा भरवाइये। *अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या गांवों के चाण्डालों* को आप इन्हें सौंपना चाहते हैं? इस से उन को कोई फायदा नहीं होने वाला है और न कोई काम ही होने वाला है।

अब रही आरक्षण की बात। उस के बारे में मैं क्या कहूं। आरक्षण में इतनी बेईमानियां होती हैं, जिस का कुछ कहना नहीं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि आई० एस० और आई० पी० एस० की जगहों को आप देखें। आई० ए० एस० में कुल 3237 पोस्ट्स हैं जिन में 277 हरिजन हैं जो 8.56 परसेन्ट बैठता है और इसी तरह से जनजातियों का कुल 4 08 परसेन्ट है। ये फीगर्स पहले की हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन 30 सालों में आप ने लगभग 8 परसेन्ट किया है, तो यह जो 18 परसेन्ट है, यह कब पूरा होगा? ये कितने दिनों में पूरा होगा।

मैं एक बात और इसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जब इस देश से अंग्रेज गये, तो कितने काले लोग योग्य थे? वे लोग कलेक्टर थे, कमिश्नर थे और सचिव थे लेकिन कितने वे काबिल थे। जब अंग्रेज चले गये, तो रातों-रात सब काबिल हो गये और हम को कहते हैं कि तुम नालायक हो। हम को आप गद्दी पर बैठा दीजिये और फिर आप यह देखिये कि हम आप से अच्छा काम करते हैं या नहीं? लेकिन श्रीमन, आप की नीयत साफ नहीं है कि हरिजन को गद्दी पर बैठा दो, आप की नीयत साफ नहीं है कि बैकवर्ड को गद्दी पर बैठा दो और ऐसा करने के लिये आप हजारों बहाने करते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं क्योंकि आप को इन दो वर्षों में काफी अनुभव हो गया होगा कि जरा आप हम को समझा दीजिये कि ऐसा क्यों है। हमारे गृह मंत्री जी तो सारी जिन्दगी का अनुभव रखे हुए हैं। वे ईमानदारी से छाती पर हाथ रख कर बतायें कि क्या कभी किसी ईमानदार आफिसर का ड्यू डेट पर प्रोमोशन हुआ है? एक भी उदाहरण आप लोग दे देंगे तो हम आप की मिठाई खिलाई करेंगे। जितने ईमानदार अफसर हैं, वे दरबार नहीं करेंगे, न डाली लाएंगे और न घूस देंगे। प्रोमोशन उसी का होता है जो घूस लेता है और आधा देता है और आधा अपने पास रख लेता है, अपनी गोटी भी फिट और उनकी गोटी भी फिट। ऐसे लोगों का प्रोमोशन होता है और जितने ईमानदार हैं उन सब का करेक्टर रोल खराब है। जितने हरिजन और बैकवर्ड हैं, उन का करेक्टर, रोल लिखने वाले यही हैं। इसलिये उन का प्रोमोशन नहीं होगा। अगर आप सीधे सीधे प्रोमोशन नहीं देना चाहते, तो रिजर्वेशन में आप को प्रोमोशन देना होगा। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए आप अलग से हरिजन मंत्रालय बनाये। अगर इस के लिए बात की जाती है, तो इस में किसी को चिढ़ क्यों लगती है। आप को हरिजन और बैकवर्ड दोनों का मंत्रालय अलग से बनाना पड़ेगा अगर सचमुच में आप इनका उत्थान चाहते हैं। किसी हरिजन विरोधी को हरिजन अफसर बना कर, किसी हरिजन विरोधी को रिक्रूटिंग अफसर बना कर के और किसी बैकवर्ड विरोधी को प्रोमोटिंग आफिसर बना कर अगर आप चाहते हैं कि उन का प्रोमोशन हो या रिक्रूटमेंट हो, तो वह नहीं होगा। क्या वजह है कि आप उन को प्रोमोशन नहीं देते हैं। ये सारे के सारे अफसर नालायक थे अंग्रेजों के जमाने में और गद्दी पर बैठकर ये रातोंरात काबिल बन गए। मेरा कहना यह है कि हरिजन का कम्पीटीशन हरिजन से करवाइए। आप सवर्णों से उन का कम्पीटीशन करवाते हैं। . .

MR. CHAIRMAN Mr Kushwaha you may continue tomorrow. Now we take up call attention motion

---

17.59 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(ii) REPORTED CLASH BETWEEN THE POLICE AND THE RESIDENTS IN NIZAMUDDIN, NEW DELHI.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) सभापति महोदय, यह जो कालिंग एटेंशन है, इस में मेरा पहला नाम है और हम को जो कागज मिला है, वह अभी अंग्रेजी में मिला है। इस को मैं पढ़ नहीं सकता हूं।

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी). फाड़ो इस को। आज ही श्री विनायक प्रसाद यादव ने सुबह कहा था कि हिन्दी में दिया जाए। हिन्दी में देने के लिए क्या बार-बार यह सवाल यहां उठता रहेगा।

श्री राम विलास पासवान: मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। इस बारे में आप की क्या व्यवस्था है?

18 hrs

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL): Sir, I must apologise for this. I had explained this morning that these calling attention notices were given only yesterday. I have tried to obtain the